आरक्षी नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती/ मृतक आश्रित) आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम -2022

अवधि -06 माह

उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय

लखनऊ

संदेश

मैं उत्तर प्रदेश पुलिस, विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स में नवीनतम सदस्यों के रूप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और कहना चाहूंगा कि पुलिस का मुख्य कर्तव्य अपराध को रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। हम बिना किसी भय या पक्षपात के कानून को बनाए रखने और हर नागरिक को बिना किसी भेद-भाव के सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प हैं।

मैं उम्मीद करूंगा कि प्रत्येक सदस्य अनुशासन, टीम वर्क, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर विशेष बल दे और उत्तर प्रदेश पुलिस का एक आदर्श सदस्य बने। आपकी भूमिका आपके सहयोगियों एवं अधीनस्थों के लिये प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है और वे आपके मार्गदर्शन में कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं। इसलिये आवश्यक है कि आप अपने प्रशिक्षण काल की महत्ता को समझें और पूर्ण निष्ठा के साथ इसको पूर्ण करें।

12/12/2022

(डॉ0 देवेन्द्र सिंह चौहान)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

डॉ0 राजेन्द्र पाल सिंह,
आई0पी0एस0
पुलिस महानिदेशक
Director General of Police

दूरभाष : कार्यालय :Off 2390252
Phone :फैक्स : Fax. 2724034
अ0शा0पत्र सं0: प्रनि–प–10/2022
D.O.Letter No.
प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश
टॉवर संख्या–1, प्रथम तल, पुलिस मुख्यालय, सेक्टर–07, गोमतीनगर विस्तार, शहीदपथ, लखनऊ–226010
Training Directorate, U.P.
Tower No.1, 1st Floor, Police Headquarters, Sector-7, Gomti Nagar Vistar, Shaheed Path, Lucknow-226010

दिनांक/Dated:लखनऊ: जनवरी , 2023

सन्देश

मुझे अवगत कराते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि 2 वर्ष के अन्तराल के पश्चात 2022 में प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के 6 माह के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को संशोधित करते हुए वर्तमान परिवेश में उभरती चुनौतियों और आवश्यकताओं के दृष्टिगत अद्यावधिक किया गया है।

2– इस प्रकिया में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णयों तथा नए विधेयकों का समावेश उचित स्थान पर पाठ्यक्रम में किया जाये।

3– पाठ्यक्रम को अद्यावधिक करना, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गम्भीर मन्थन का कार्य था जिसमें श्री सुजीत पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर, श्री राजा श्रीवास्तव तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर, श्री जकी अहमद, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर, श्री संजय सिंह, सेनानायक 02वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर, श्री महमूद अली, सहायक सेनानायक 02वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर, डॉ0 दिनेश यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर के अतिरिक्त श्री मुकेश कुमार शर्मा, उप निरीक्षक (लिपिक), श्री राजेश कुमार वर्मा सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) एवं श्री अर्पित कुमार कटियार, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। उक्त पाठ्यक्रम में नयी पीढ़ी के अधिकारियों श्रीमती सुनीती, पुलिस अधीक्षक एवं श्रीमती पूजा यादव, पुलिस अधीक्षक से भी सुझाव लिये गये, जो लाभदायक रहे।

4– इस पाठ्यक्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस प्रशिक्षुओं को शिष्ट–विनम्र–जनोन्मुख एवं सेवोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य एवं जन सहमति एवं सहभागिता के साथ पुलिस कार्य करने का कौशल एवं मनोवृत्ति विकसित करने, उन्हें आत्मसम्मानी बनाने, उनके अन्दर प्रजातांत्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति आदर जागृत कराने पर बल दिया गया गया है।

..........2

5— आरक्षी नागरिक पुलिस का पद उत्तर प्रदेश पुलिस में अग्रणी भूमिका निभाने एवं अपने सहयोगी सदस्यों को प्रेरित करने वाला होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस पद पर नवनियुक्त प्रशिक्षणार्थीगण पूर्ण मनोयोग के साथ अपना प्रशिक्षण सम्पन्न करेंगे एवं कालान्तर में सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं साहस के साथ पदीय दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए पुलिस विभाग का गौरव बनाये रखेंगे।

6— ऐसा संभव है कि तमाम सावधानियों के पश्चात भी इस वृहद स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करते हुए कतिपय त्रुटियाँ हो गयी हों। यदि ऐसा हुआ है तो मैं उसके प्रति खेद प्रकट करते हुए समस्त संस्था प्रभारियों से आशा करूँगा कि उन त्रुटियों को प्रशिक्षण निदेशालय के संज्ञान में तत्कालिक रूप से लायेंगे, ताकि उनका सामयिक निराकरण किया जा सके।

(राजेन्द्र पाल सिंह)
पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

....

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं0
1.	संस्था में आगमन	2
2.	आवास	3
3.	भोजन व्यवस्था	3
4.	परिधान	3
5.	विशेष सेवाओं के लिए कटौती	4
6.	दिवसाधिकारी	4
7.	रात्रि गणना	4
8.	चिकित्सा सुविधा	4
9.	मनोरंजन	5
10.	खेल-कूद	5
11.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	5
12.	पुस्तकालय एवं वाचनालय	5
13.	सूचना पट्ट	6
14.	सुझाव/ शिकायती पत्र पेटिका	6
15.	मासिक सम्मेलन	6
16.	श्रमदान एवं वृक्षारोपण	6
17.	अवकाश एवं अनुपस्थिति/ महिला प्रशिक्षु आरक्षी द्वारा गर्भधारण	7
18.	प्रशिक्षुओं के लिए अनुशासन सम्बन्धी निर्देश	8
19.	प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण संस्थान में अपचार	9
20.	संस्था में कारित अपचार के सम्बन्ध में दण्ड देने विषयक प्रावधान	10
21.	प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण	11
22.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपलब्धता	12
23.	व्यावहारिक प्रशिक्षण	12
24.	प्रशिक्षण के दौरान शान्ति व्यवस्था ड्यूटी	13
25.	प्रशिक्षकों के लिए निर्देश	13
26.	परीक्षा का संक्षेप	16
27.	पुरस्कार	18
28.	अत्यधिक कुशल प्रशिक्षुओं की सूची	18
29.	फीडबैक	18
30.	प्रशिक्षण की रूपरेखा	18
31.	सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दिवसों एवं कालांशों का विवरण	19
32.	सम्पूर्ण प्रशिक्षण के कालांशों एवं अंको की गणना	19
33.	आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषयों, कालांशो एवं अंको का विवरण	19
34.	दैनिक समय सारिणी	22
35.	आरक्षी ना0पु0 सीधी भर्ती/ मृतक आश्रित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु	23
36.	व्यावहारिक प्रशिक्षण	61

प्रस्तावना

आरक्षी का पद पुलिस विभाग में ऑपरेशन के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस स्तर के अधिकारियों की शतप्रतिशत नियुक्ति सीधी भर्ती / मृतक आश्रित द्वारा होती है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम, आरक्षी नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती/ मृतक आश्रित) के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 06 माह है।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण (Joining Training Centre)- (जे0टी0सी0)

(i) प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा एक प्रशिक्षण रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें प्रतिदिन उनके द्वारा की जा रही ट्रेनिंग के संबन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी की जायेगी, जिसमें अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण तथा बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के बारे में लिखा जायेगा।

(ii) प्रशिक्षु आरक्षियों की भर्ती के पश्चात विभिन्न जनपदों की पुलिस लाइन में (30 दिवस से अनधिक) प्रारम्भिक परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(iii) सम्बन्धित जनपद आर0टी0सी0 पुलिस लाइन से प्रशिक्षुओं को वर्दी की वे वस्तुयें उपलब्ध करायेंगे, जिनकी आपूर्ति पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्दी/ सामग्री स्थानीय स्तर से क्रय करके उपलब्ध करायी जाती है, वह भी उपलब्ध करा दी जायेगी। वर्दी के साथ सभी के किट कार्ड भी बनवा दिये जाए।

(iv) जनपद के पुलिस अधीक्षक सभी प्रशिक्षु आरक्षियों की चरित्र पंजी तैयार करायेंगे।

(v) जिला पुलिस प्रभारी जे0टी0सी0 प्रगति पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार कराकर, प्रशिक्षु आरक्षियों के साथ ही सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाओं को सीधे भेजेंगे। परिचय-पत्र, संस्था द्वारा प्रशिक्षु आरक्षियों को वितरित किये जायेंगे।

(vi) जिला पुलिस प्रभारी प्रति सप्ताह कम से कम एक बार इन प्रशिक्षु आरक्षियों से साक्षात्कार करेंगे।

गहन प्रशिक्षण (प्रशिक्षण संस्थान)

(i) यहाँ 'संस्था प्रमुख' का तात्पर्य प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी अथवा जनपदीय आरटीसी के लिए जनपद में नियुक्त जिला पुलिस प्रभारी तथा पीएसी आरटीसी के लिए सम्बन्धित वाहिनी के प्रभारी सेनानायक से है।

(ii) प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षु के प्रगति पत्रों का भली-भॉति अवलोकन किया जायेगा। यदि किसी प्रगति पत्र में कोई त्रुटि या कमी है तो सम्बन्धित जनपद प्रभारी से पत्राचार करके उसका निवारण कराया जायेगा। सभी प्रशिक्षु की चरित्र पंजिकाएँ उनके जनपद से प्राप्त करके उसका परीक्षण कर लिया जाये, यदि कोई विसंगति पाई जाए, तो उसका समाधान करा लिया जाए।

सामान्य निर्देश

उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी (सीधी भर्ती/ मृतक आश्रित) प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रचलित **उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015** एवं नियमों के अनुसार कराया जायेगा।

1. संस्था में आगमन

(i) प्रशिक्षण संस्थान में आगमन के दिनांक से प्रशिक्षु को प्रशिक्षण पूर्ण करने तक प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों को 'प्रशिक्षु आरक्षी नागरिक पुलिस' के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

(ii) आरक्षी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण केन्द्र में आगमन के पूर्व ही एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी, इसमें समुचित पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी।

(iii) स्वागत कक्ष में प्रशिक्षुओं के आमद के सम्बन्ध में संस्था प्रमुख द्वारा निर्गत आदेश-निर्देश नोटिस बोर्ड पर प्रशिक्षुओं की सुविधा हेतु चस्पा किये जायेगे।

(iv) स्वागत कक्ष में आगमन के समय प्रशिक्षुओं के लिए चाय, पानी आदि की व्यवस्था की जायेगी, जिसका व्यय प्रशिक्षुओं के मेस कटिंग में सम्मिलित किया जायेगा।

(v) स्वागत कक्ष में नियुक्त किये गये कर्मी प्रशिक्षुओं को पूर्व से आंवटित छात्रावास एवं भोजनालय की जानकारी देगें।

(vi) भोजन व्यवस्था के लिए मेस एडवांस के रूप में संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित धनराशि प्रशिक्षुओं से जमा करायी जायेगी। प्राप्त धनराशि की रसीद प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रदान की जायेगी।

(vii) स्वागत कक्ष में ही प्रशिक्षुओं के नॉमिनल रोल फार्म भरवाये जायेंगे, जिस पर एक नवीनतम फोटो भी लगवाया जायेगा एवं अभिलेखों की चेकिंग व मिलान किया जायेगा।

(viii) आमद के समय सभी प्रशिक्षुओं का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लिया जायेगा।

(ix) प्रशिक्षुओं की शारीरिक नाप-तौल, ऊंचाई, वजन, कमर (नाभि के स्तर पर) सैन्य सहायक/ एच.डी.आई. द्वारा सम्पादित की जायेगी, जिसका उल्लेख शारीरिक नाप-तौल रजिस्टर में किया जायेगा।

(x) प्रशिक्षण के प्रारम्भ में "जीरो परेड" आयोजित की जायेगी। समस्त प्रशिक्षुओं के आगमन के प्रथम 03 दिवस में सैन्य सहायक व एच.डी.आई. द्वारा प्रशिक्षुओं को टोलियों में विभक्त कर जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें संस्थान परिसर की पूर्ण जानकारी करायी जायेगी। सैन्य सहायक व एच.डी.आई. द्वारा परिसर का भ्रमण अपने नेतृत्व में कराया जायेगा। इस अवधि में प्रशिक्षुओं के साथ **Ice Breaking Exercise** का आयोजन किया जायेगा। "जीरो परेड" की अवधि में प्रशिक्षुओं को गहन प्रशिक्षण न देकर पुलिस विभाग के परिवेश से परिचित कराया जायेगा, जिसमें मुख्य रूप से प्रशिक्षण का महत्व, पुलिस विभाग में अनुशासन की आवश्यकता तथा परेड ग्राउण्ड, गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के अनुशासन का ज्ञान कराया जायेगा।

(xi) प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के आदेशों/ निर्देशों से अवगत कराने हेतु एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप/ टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया जायेगा, जिसके ग्रुप एडमिन सैन्य सहायक, अन्तःकक्ष प्रभारी, एच.डी.आई., शिविरपाल, सुबेदार मेजर, हवलदार मेजर होगें । सैन्य सहायक इस ग्रुप में अनुशासन बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे।

नोट- प्रशिक्षुओं की शारीरिक नाप-तौल, ऊंचाई, वजन, कमर (नाभि के स्तर पर) सैन्य सहायक/ एच.डी.आई. द्वारा प्रत्येक माह ली जायेगी और उसकी प्रविष्टि शारीरिक नाप तौल रजिस्टर में की जायेगी। इस नाप-तौल का उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु की शारीरिक फिटनेस में प्रशिक्षण के प्रभाव स्वरूप सुधार हो रहा है या नहीं।

2. आवास

सभी प्रशिक्षुओं को संस्था परिसर में छात्रावासों में आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। सभी प्रशिक्षु, प्रशिक्षण अवधि में उक्त आवटिंत छात्रावासों में ही आवासित होंगे। किसी भी परिस्थिति में उक्त अवधि में प्रशिक्षुओं को संस्था परिसर से बाहर रहने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। संस्था द्वारा छात्रावास में पर्याप्त रोशनी हेतु एल.ई.डी. बल्ब, ट्यूब लाइट तथा पंखे, पलंग /तख्त की व्यवस्था की जायेगी। छात्रावास में प्रशिक्षु के किसी रिश्तेदार, मित्र, परिचित इत्यादि को ठहरने की अनुमति नहीं होगी। ट्रांसजेण्डर प्रशिक्षु की आवासीय व्यवस्था अलग से की जायेगी।

महिला प्रशिक्षु आरक्षी के छात्रावास/ आवास के लिए निरीक्षक / उपनिरीक्षक स्तर की महिला पुलिस अधिकारी प्रत्येक छात्रावास के लिए वार्डन के रूप में नियुक्त की जायेगी, जिसका कर्तव्य छात्रावास में अनुशासन बनाये रखना, प्रशिक्षकों एवं आगन्तुकों पर नियंत्रण रखना होगा। यथा-सम्भव वार्डन को उसी छात्रावास में रहने हेतु 01 कमरा एवं कार्यालय हेतु 01 कमरा प्रदान किया जाए।

3. भोजन व्यवस्था

(i) समस्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण केन्द्र के अन्दर उनके लिए निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करना अनिवार्य होगा।

(ii) भोजन करते समय भोजनालय में संस्था द्वारा निर्धारित पोशाक पहनी जायेगी।

(iii) मेस का पूर्ण संचालन स्वयं प्रशिक्षुओं द्वारा अपने ही बीच में से चयनित मेस प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा। यह मेस प्रबन्धन समिति सत्र निदेशक की देख-रेख में 01 माह के लिए बनायी जायेगी।

(iv) भोजन, भोजनालय के डायनिंग हाल में बैठकर किया जायेगा। भोजनालय से भोजन ले जाकर छात्रावास में या अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नही होगी।

4. परिधान

प्रत्येक प्रशिक्षु को मौसम के अनुसार परेड/पी0टी0/विद्यालय में निर्धारित वर्दी पहननी होंगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्लास में प्रशिक्षु निर्धारित सादा परिधान सफेद पूरी बांह की शर्ट, काली पैन्ट, काली बेल्ट, काले मोजे व काले जूते (ऑक्सफोर्ड) धारण करेंगे।

5. विशेष सेवाओं के लिए कटौती

प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख द्वारा संस्था कटिंग के रूप में जो भी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी वे लाभ/हानि रहित (No Profit/ No Loss) होंगी। वह सुविधाएँ जिनका भुगतान सामूहिक रुप से किया जाना है। संस्था प्रमुख द्वारा सत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षु भी शामिल होंगे, द्वारा विभिन्न कटौतियों की राशि प्रस्तावित की जायेगी, जो संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित की जायेगी।

6. दिवसाधिकारी

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रतिदिन एक वाह्य विषय का प्रशिक्षक दिवसाधिकारी (Day Officer) के रूप में नियुक्त किया जायेगा। दिवसाधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र के नियुक्त/ कार्यरत प्रशिक्षकों में से ही नियुक्त किया जायेगा, जिसके निम्न कर्तव्य होंगे-

1. प्रशिक्षुओं से भोजन के समय भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन कराना।
2. विद्यालय के समय प्रशिक्षुओं को एकत्रित कर गणना करना तथा उन्हे अन्तः कक्षाओं में पंहुचाना और उपस्थिति का स्टेटमेन्ट अन्तः कक्ष प्रभारी को उपलब्ध कराना।
3. प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान बीमारी/ दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में एच0डी0आई0/ सैन्य सहायक को सूचित कर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
4. प्रतिदिन रात्रि गणना पर उपस्थित रहना।

7. रात्रि गणना

प्रशिक्षुओं की रात्रि गणना प्रतिदिन सुबेदार मेजर के द्वारा एच.डी.आई. की उपस्थिति में ली जायेगी। किसी भी प्रशिक्षु को रात्रि गणना से छूट नही प्रदान की जायेगी। एच.डी.आई. रात्रि गणना की कुशलता रिपोर्ट सैन्य सहायक को देगें। कोई भी उल्लेखनीय बात तत्काल एच0डी0आई0/ सैन्य सहायक के द्वारा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लायी जायेगी। सैन्य सहायक सप्ताह में कम से कम 3 बार अपनी उपस्थिति में रात्रि गणना करायेगें। प्रशिक्षण अवधि में आकस्मिक रोल कॉल सैन्य सहायक द्वारा संस्था प्रमुख की अनुमति से माह में कम से कम एक बार ली जायेगी।

8. चिकित्सा सुविधा

समस्त प्रशिक्षुओं को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। विशेष दशा में चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर अन्यत्र उपचार की व्यवस्था करायी जायेगी एवं यदि प्रशिक्षण संस्था से चिकित्सालय काफी दूर स्थित होगा, वहाँ पर प्रशिक्षु के उपचार हेतु प्रशिक्षण संस्था प्रमुख सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करके उपचार की व्यवस्था करायेंगे।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रति 02 माह के अन्तराल पर अनिवार्य रूप से मेडिकल कैम्प लगाकर प्रशिक्षुओं का रूटीन मेडिकल परीक्षण (ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्राम आदि) कराया जायेगा एवं समस्त प्रशिक्षुओं का चार्ट तैयार किया जायेगा।

9. मनोरंजन

संस्था में प्रशिक्षुओं के मनोरंजन के लिए मनोरंजन–गृह में टेलीविजन तथा इन्डोर गेम्स यथा टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चेस व बैडमिंटन इत्यादि की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास में एक हिन्दी व एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र स्टैण्ड पर लगाकर पढ़ने के लिए व्यवस्था की जायेगी।

10. खेल-कूद

प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। सैन्य सहायक खेल-कूद के लिए वॉलीबाल, फुटबॉल, बास्केट बॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती तथा तैराकी आदि हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सैन्य सहायक प्रशिक्षण अवधि में इंडोर व आउटडोर खेलकूदों की प्रतियोगिता आयोजित करायेगें और प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया जायेगा। **प्रशिक्षण के प्रारम्भ में ही सैन्य सहायक, सत्र निदेशक से परामर्श कर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए कार्यक्रम तैयार कर संस्था प्रमुख से अनुमोदित करायेगें तथा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।**

11. सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रशिक्षण अवधि के मध्य अकार्य दिवसों में प्रशिक्षुओं से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा निबन्ध प्रतियोगिता आदि में प्रतिभाग कराया जायेगा। सत्र निदेशक/ सैन्य सहायक, संस्था प्रमुख के अनुमोदनोपरान्त इन कार्यक्रमों का आयोजन करायेंगे। प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षुओं में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया जायेगा।

12. पुस्तकालय एवं वाचनालय

संस्था में एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों तथा विभागीय ज्ञान से संबन्धित पत्रिकायें इत्यादि रखी जायेंगी।

13. सूचना पट्ट

संस्था में प्रशिक्षुओं के बैरक के निकट, गणना स्थल तथा अन्तःकक्ष में एक-एक सूचना पट्ट की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षुओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं आवश्यक आदेश /निर्देश चस्पा किये जायेंगे।

14. सुझाव / शिकायती पत्र पेटिका

(i) संस्था में प्रशिक्षुओं के छात्रावास के निकट एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी, जिसमें प्राप्त सुझाव एवं शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(ii) संस्था प्रमुख द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा यह पेटिका सप्ताह में एक बार खोली जायेगी।

(iii) सभी सुझाव/ शिकायतों को क्रमवार एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा एवं उसी में कृत कार्यवाही भी दर्ज की जायेगी जिसे प्रत्येक शुक्रवार को संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

15. मासिक सम्मेलन

प्रत्येक माह संस्था प्रमुख द्वारा मासिक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। सम्मेलन में प्रशिक्षुओं से समस्याओं एवं प्रशिक्षण के संबन्ध में संस्था प्रमुख द्वारा वार्ता की जायेगी। संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव भी प्राप्त किये जायेगें। सम्मेलन में उठाई गयी समस्याओं एवं सुझावों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर बनाया जायेगा और अगले सम्मेलन में उनके निराकरण/ कृत कार्यवाही का विवरण अंकित कर संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

16. श्रमदान एवं वृक्षारोपण

पुलिस विभाग में श्रमदान की एक दीर्घकालीन सुस्थापित परम्परा है। यह टीम भावना तथा संस्था / इकाई से लगाव / अपनत्व बढ़ाने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। प्रशिक्षुओं से श्रमदान एवं वृक्षारोपण का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं द्वितीय शनिवार को पूर्वान्ह में ही कराया जायेगा, जिसमें उनसे परेड ग्राउण्ड, बैरक एरिया, क्वार्टर गार्द, गार्डन, संस्था परिसर आदि की सफाई व रख-रखाव का कार्य कराया जा सकेगा। कार्य दिवसों में बाह्य एवं अंतः विषयों के कालांशों में कोई श्रमदान एवं वृक्षारोपण नहीं कराया जायेगा।

17. अवकाश एवं अनुपस्थिति

(i) आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रशिक्षु को सामान्य रूप से कोई अवकाश नहीं दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को अधिकतम 06 दिवस आकस्मिक अवकाश देय होगा, जिसमें आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सीय अवकाश दोनो शामिल होगें।

(ii) यदि कोई प्रशिक्षु, प्रशिक्षण अवधि में अनावश्यक रूप से आदतन सिक परेड में खड़ा होता है, जिससे उसकी प्रशिक्षण में अरूचि प्रदर्शित होती है तो प्रशिक्षु का यह आचरण अनुशासनहीनता माना जायेगा।

(iii) यदि कोई प्रशिक्षु, प्रशिक्षण अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण केन्द्र से अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा अथवा झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे प्रशिक्षु की इस अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जायेगा।

(iv) यदि अपरिहार्य कारणों से कोई प्रशिक्षु पूरे प्रशिक्षण अवधि में कुल 15 कार्य दिवस तक अवकाश से अनुपस्थित हो जाता है तो उसके प्रभावित कालांशों की पूर्ति प्रचलित प्रशिक्षण सत्र में कराकर अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

(v) यदि कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण काल की अवधि में कुल 15 कार्य दिवसों की अवधि तक अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण केन्द्र से अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा अथवा झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे प्रशिक्षु की इस अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जायेगा। ऐसे प्रकरण की जांच संस्था प्रमुख द्वारा राजपत्रित अधिकारी से करायी जायेगी।

(vi) ऐसे प्रकरण की जांच 07 दिवस के अन्दर संस्था प्रमुख द्वारा राजपत्रित अधिकारी से करायी जायेगी और अनुशासनहीनता के प्रमाणित होने पर प्रस्तर 20 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों में से अनुशासनहीनता की गम्भीरता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(vii) किसी भी कारण से पूरे प्रशिक्षण काल में 15 कार्य दिवस से अधिक अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थी को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और उसे उसकी नियुक्त वाहिनी को वापस कर दिया जायेगा। उसके नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच कराकर यह समाधान किया जायेगा कि क्या उक्त अनुपस्थिति ऐसी प्रकृति की है कि समुचित चेतावनी अथवा दण्ड देकर अगले बैच के साथ पुनः आधारभूत प्रशिक्षण करा दिया जाये, अथवा उक्त अनुपस्थिति बिना किसी आधार के है और अत्यन्त प्रमाद एवं लापरवाहीपूर्ण है। ऐसी स्थिति में **उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015** के नियम 20(4) के अन्तर्गत नियुक्ति/सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(viii) परन्तु फ्रैक्चर इत्यादि के कारण यदि 30 कार्य दिवस तक की कुल अवधि तक अन्तः कक्षीय कालांशों में उपस्थिति हो परन्तु सिर्फ वाहय कक्षीय कालांशों से अनुपस्थिति हो तो उस दशा में "काम नही तो

दाम नही" का सिद्वान्त प्रभावी नही होगा। ऐसी स्थिति में उसके वाहय कक्षों के प्रभावित कालांशों की पूर्ति नियमानुसार करायी जायेगी । ऐसी दशा में प्रशिक्षु की संस्था से अनुपस्थिति नही मानी जायेगी।

(ix) यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त प्रस्तर 17(vii) के अन्तर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इन्हें प्रशिक्षण का मौका पुनः दिया जाना चाहिए तो वे तद्नुसार प्रशिक्षण निदेशालय एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को सूचित करेंगे । प्रशिक्षण निदेशालय अगले आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स में उन्हें शामिल करने का निर्णय लेकर नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी उसे समय से आधारभूत प्रशिक्षण में भेज सकेंगे।

(x) प्रशिक्षणार्थियों के वेतन के संबंध में **"उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015"** के **नियम 23, 24** के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(xi) संस्था प्रमुख द्वारा अपने विवेक से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान सामूहिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा, परन्तु यह अवधि पूरे प्रशिक्षण अवधि में 02 कार्य दिवस से अधिक की नही होगी । सामूहिक अवकाश, प्रशिक्षु को देय 06 दिवस आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा।

नोटः- महिला प्रशिक्षु आरक्षी द्वारा गर्भ धारण

(i) आगमन के समय प्रत्येक महिला प्रशिक्षु इस बात का घोषणा पत्र देगी कि वह गर्भवती नहीं है तथा यदि प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती होती है तो उसको तत्काल प्रशिक्षण से वापस कर दिया जायेगा।

(ii) यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर प्रसव हुआ है तो प्रशिक्षण में शामिल होने के पूर्व उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रशिक्षण हेतु फिट होने का प्रमाणपत्र देना होगा। राज्य से बाहर की निवासी महिला को यह प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के जनपद में स्थित मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त करना होगा।

(iii) ऐसी गर्भवती महिलाओं को शेष प्रशिक्षण उनके प्रसूति की तिथि के एक वर्ष बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र के साथ कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रशिक्षण उसी स्तर से पुनः आरम्भ होगा जहाँ से छोड़ा गया था।

(iv) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर नियमानुसार विशाखा कमेटी/ इन्टर्नल कम्प्लेन्ट्स कमेटी (आई.सी.सी.) का गठन किया जायेगा।

18. प्रशिक्षुओं के लिए अनुशासन सम्बन्धी निर्देश-

(i) प्रशिक्षु का आचरण उच्चकोटि का होना चाहिए, जिससे संस्था में अनुशासन सुदृढ़ रहे।

(ii) प्रशिक्षु, संस्था के सभी कार्यक्रमों में समयबद्वता एवं नियमों का ध्यान रखेगा।

(iii) प्रशिक्षु व्यक्तिगत सफाई, सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, मर्यादा और सत्यनिष्ठा का विकास करेगा।

(iv) प्रशिक्षु अपने सहयोगियों, संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं अतिथियों के साथ संस्था के भीतर व संस्था के बाहर शिष्ट व्यवहार करेगा।

(v) प्रशिक्षु भोजनालय, मनोरंजन कक्ष, छात्रावास आदि में तेज ध्वनि से म्यूजिक नही बजायेगा और न ही तेज स्वर में बात करेगा।

(vi) संस्था में धूम्रपान करना वर्जित है । संस्था परिसर में मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन, तम्बाकू, गुटका व पान मसाले का सेवन एवं किसी भी प्रकार का भोजन बनाना पूर्णतः वर्जित होगा।

(vii) प्रशिक्षु वरिष्ठ अधिकारियों से पत्र व्यवहार उचित माध्यम से ही कर सकेगा।

(viii) सभी प्रशिक्षु क्लास में नियत समय से 05 मिनट पूर्व बैठ जाएगें।

(ix) प्रशिक्षुओं को यह सलाह दी जाती है कि वे बहुमूल्य आभूषण और अधिक नकदी छात्रावास में न रखें, बल्कि बैंक/ पोस्ट ऑफिस में रखें।

(x) वाह्य प्रशिक्षण के दौरान घड़ी, चेन, अंगूठी तथा अन्य आभूषण पहनना वर्जित है।

(xi) किसी आपात स्थिति में अन्तः प्रशिक्षण के दौरान यदि प्रशिक्षु को अन्तः प्रशिक्षण भवन से बाहर तथा संस्था परिसर के अन्दर जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह इण्डोर प्रभारी की अनुमति से जा सकेगा।

(xii) संस्था परिसर से बाहर बिना अनुमति के जाना वर्जित है। अवकाश के दिन सैन्य सहायक की पूर्व अनुमति से ही प्रशिक्षु अनुमति के समय के अनुसार नामित प्रशिक्षक के साथ दैनिक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए स्थानीय बाजार जा सकेगें। किसी भी प्रशिक्षु को संस्था परिसर से बाहर स्थानीय बाजार में अकेले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(xiii) समस्त प्रशिक्षु संस्था के नियमों व संस्था के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करेंगें।

(xiv) यदि कोई प्रशिक्षु, संस्था प्रमुख से उनके कार्यालय में मिलना चाहेगा तो वह एच.डी.आई./ सैन्य सहायक के माध्यम से संस्था के पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेकर कार्य दिवस में मिल सकेगा

(xv) प्रशिक्षु का संस्था के प्रशिक्षकों/ स्टाफ के सदस्यों के निवास स्थान पर जाना वर्जित है।

19. प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण संस्थान में अपचार –

प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं द्वारा कारित अपचार निम्न प्रकार के होगें-

(i) कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता, उपेक्षा अथवा विफलता।

(ii) संस्थान के संकाय सदस्यों / प्रशिक्षण स्टाफ / कर्मचारियों पर हमला, आपराधिक बल, आपराधिक अभित्रास जैसे अन्य आपराधिक कार्य करना। (इन शब्दों के वही अर्थ होंगे जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित है)

(iii) हड़ताल का दुष्प्रेरण, प्रदर्शन या प्रदर्शन जनित अन्य कार्य।

(iv) सोशल मीडिया पर राजनैतिक एवं अनैतिक जैसे संदेशों को प्रसारित करना।

(v) पूर्व के आपराधिक इतिहास को छुपाकर नौकरी पाना।

(vi) अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिये स्वयं को जानबूझकर कर अयोग्य कर लेना

(vii) अवज्ञा जनित कोई कार्य।

(viii) अभद्र एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग।

(ix) शराब या अन्य मादक पदार्थ का सेवन।

(x) सार्वजनिक आमोद-प्रमोद एवं अन्य ऐसे कार्य कारित करना जिसे संस्था प्रमुख द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों-निर्देशों द्वारा वर्जित किया गया हो।

20. संस्था में कारित अपचार के सम्बन्ध में दण्ड देने विषयक प्राविधान

(A) प्रशिक्षण संस्थान में किसी प्रशिक्षु द्वारा बिन्दु 19 में वर्णित अपचार कारित करने के सम्बन्ध में संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षु द्वारा कारित अपचार की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न कार्यवाही की जा सकेगी।

(i) **प्रचलित प्रशिक्षण सत्र से निलम्बन एवं निष्कासन (Suspension and Expulsion)-** इस प्रकार के प्रकरण में मामले की सम्पूर्ण रिपोर्ट अविलम्ब अनुमोदन हेतु पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी एंव इसकी एक प्रति जनपद के प्रभारी पुलिस अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(ii) **सेवा से हटाया जाना (Removal from service)-** यदि संस्था प्रमुख की राय में वह अपचार इस श्रेणी का है कि सम्बन्धित प्रशिक्षु दक्ष पुलिस आरक्षी के पद पर नियुक्त होने के योग्य न हो –

इस प्रकार के प्रकरण की सम्पूर्ण रिपोर्ट अविलम्ब पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को संस्था प्रमुख द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित की जायेगी एंव इसकी एक प्रति जनपद के प्रभारी पुलिस अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(B) प्रशिक्षु जो बिन्दु संख्या 19 में वर्णित अपचार के दोषी पाये जायेंगे उन्हें संस्था प्रमुख द्वारा निम्न में से एक या सभी दण्डों को अधिरोपित किया जा सकता है:-

(i) वेतन में अधिकतम 50% तक कटौती।

(ii) अतिश्रम (Fatigue) / अतिरिक्त परेड / अतिरिक्त पहरा।

(iii) मौखिक भर्त्सना (Reprimand) / डिफाल्टर / चेतावनी

(C) उपरोक्त 19 में वर्णित अपचार के मामले में दण्ड का निर्धारण संस्था प्रमुख द्वारा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, गम्भीरता एवं पूर्व में अधिरोपित दण्ड के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(D) **बिन्दु संख्या 19 के तहत अपचार के मामले में कार्यवाही से पूर्व-**

(i) संस्था प्रमुख द्वारा सम्बन्धित अपचार के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से जांच अधिकतम 07 दिवस के अन्दर करा ली जायेगी।

(ii) उपरोक्त बिन्दु संख्या 20(A) के मामले में संस्था प्रमुख द्वारा प्रकरण की रिपोर्ट तैयार कर प्रशिक्षण निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित की जायेगी।

(i) उपरोक्त बिन्दु संख्या 20(A) के अन्तर्गत आदेशित अपचारी प्रशिक्षु को उसकी नियुक्ति जनपद भेज दिया जायेगा।

(ii) आशंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि बिन्दु संख्या 19 की समस्त कार्यवाही में संस्था प्रमुख के निष्कर्ष को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी।

(E) **संस्था के उपप्रमुख की शक्तियाँ –** दण्ड तथा अवकाश के सम्बन्ध में उपप्रमुख की वही शक्तियाँ होंगी,जो संस्था प्रमुख द्वारा अधिकृत की जायें।

21. प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय से अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संस्था प्रमुख के निकट पर्यवेक्षण में प्रदान किया जायेगा। संस्था प्रमुख प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को सत्र निदेशक नियुक्त करेंगे, जिसके निम्न कर्तव्य होंगे-

(i) प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्तः एवं वाहय कक्षीय पाठ्यक्रम को सम्बन्धित संस्था द्वारा विषयवार निर्धारित कालांशों के कार्य दिवसों के अनुसार इंडोर प्रभारी व सैन्य सहायक के सहयोग से तैयार करवाना एवं इसका क्रियान्वयन करानाI

(ii) निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अन्तः कक्ष एवं वाहय कक्ष के प्रशिक्षकों को संस्था प्रमुख से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्त करना।

(iii) अन्तः कक्षीय एवं वाहय कक्षीय प्रशिक्षण में अनुशासन बनाये रखने के लिए मॉनीटर/कमाण्डर नियुक्त करना एवं कक्षा में नियुक्त किये गये मॉनीटर/कमाण्डर की सूची अन्तः कक्ष प्रभारी को उपलब्ध कराना

(iv) प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित एल0एम0एस0 पोर्टल, ई-लर्निंग के माध्यम से विभिन्न विषयों की जानकारी देना एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री जैसे पुस्तकें, पत्रिकाऐं, लेख, अभिलेख उपलब्ध कराना।

(v) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ एवं समापन संस्था प्रमुख द्वारा/ उनके निर्देशानुसार किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराना।

(vi) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार मध्यावधिक एवं अन्तिम परीक्षाओं की समस्त व्यवस्था संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के उपरान्त समय पर कराना।

(vii) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी प्रशिक्षुओं के ठहरने एवं उनके भोजन आदि की व्यवस्था हेतु शिविरपाल को निर्देशित करते हुए समय से व्यवस्था सुनिचित कराना।

(viii) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं में से ही प्रत्येक माह मेस प्रबन्धक नियुक्त करना। मेस मीटिंग प्रत्येक माह की अन्तिम दिनांक को सैन्य सहायक की अध्यक्षता में की जायेगी, जिसमें अगले माह के लिए मेस मैनेजर व मेस कमेटी (क्रय समिति, आडिट समिति आदि) का चुनाव प्रशिक्षु करेंगे। मेस की खरीदारी के समय सैन्य सहायक द्वारा नामित प्रशिक्षक भी मेस प्रबन्धक के साथ जायेगा एवं

खरीदारी के बाद साथ में वापस आयेगा। मेस से सम्बन्धित मेस मेन्यू एवं समस्त खर्च प्रत्येक माह की प्रथम सप्ताह में सभी प्रशिक्षुओं के अवलोकनार्थ मेस नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा।

(ix) यह सुनिश्चित करना कि मेस प्रबन्धक एवं मेस कमेटी प्रत्येक माह बदली जाये एवं ऐसे प्रशिक्षुओं को इसकी जिम्मेदारी दी जाये, जिन्हे पूर्व में यह जिम्मेदारी नही दी गयी हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षुओं को यह कार्य सीखने का अवसर मिल सके।

(x) मेस मेन्यू मेस कमेटी द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित की जाये, जिसे सत्र निदेशक एवं संस्था प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि इस मेन्यू में पौष्टिक आहार (Nutritious Meal) प्रदान किया जाये। आगामी सप्ताह का मेन्यू रविवार को मेस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाये।

(xi) सत्र निदेशक प्रशिक्षुओं की कैम्पस में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर छात्रावास एवं अन्तः कक्ष का औचक निरीक्षण भी करेंगे।

(xii) अपरिहार्य स्थिति में कोर्स के प्रशिक्षुओं के संस्था से बाहर जाने की स्थिति में सैन्य सहायक द्वारा अनुमति से एचडीआई के द्वारा गेट पास निर्गत किया जायेगा, जो एक निश्चित अवधि (निर्धारित घण्टे) हेतु मान्य होगा।

(xiii) प्रत्येक माह में किन्हीं 02 रविवार को प्रशिक्षुओं को अलग अलग समूह में कुछ समय के लिए प्रशिक्षण केन्द्र से बाहर भेजा जा सकेगा, जिससे वह अपने आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी इत्यादि कर सकें। परन्तु इनकी वापसी रात्रि गणना से पहले सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रत्येक समूह के साथ संस्था /प्रशिक्षण केन्द्र का एक अराजपत्रित अधिकारी साथ जायेगा।

22. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपलब्धता

प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ्यक्रम की एक प्रति संस्था द्वारा निशुल्क (Free of Cost) उपलब्ध कराई जाएगी।

23. व्यावहारिक प्रशिक्षण

संस्था में आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षु अपनी नियुक्ति जनपद में 06 माह (180 दिवस) का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सभी प्रशिक्षु व्यावहारिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित ट्रेनिंग रजिस्टर बनायेंगे, जिसमें दिनांक सहित प्रतिदिन के प्रशिक्षण का विवरण अंकित किया जायेगा। व्यावहारिक प्रशिक्षण की विषय वस्तु प्रस्तर 36 में दी गयी है। जनपद के प्रभारी पुलिस अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को मूल्यांकन साक्षात्कार करेंगे, जिसकी टिप्पणी ट्रेनिंग रजिस्टर में करेंगे। 06 माह बाद व्यावहारिक प्रशिक्षण के उपरान्त साक्षात्कार लिया जायेगा, जो प्रशिक्षु व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान पूर्णरूप से आरक्षी पद का दायित्व संभालने हेतु उपयुक्त पाये जायें, उन्हें जनपद के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा एक उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर प्रशिक्षु का व्यावहारिक प्रशिक्षण बढ़ाकर उसे दक्ष बनाया जायेगा। "व्यावहारिक प्रशिक्षण" प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से रूटीन कार्य न लिया जाये। पर्यवेक्षण अधिकारी इन्हे अधिकाधिक सुयोग्य बनाने में ध्यान दें।

24. प्रशिक्षण के दौरान शान्ति-व्यवस्था डियूटी

संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस महानिदेशक मुख्यालय अथवा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा लिखित आदेश के बिना प्रशिक्षुओं को शांति व्यवस्था ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इससे प्रशिक्षण प्रभावित होता है। केवल पुलिस महानिदेशक मुख्यालय अथवा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देश पर ही कानून व्यवस्था की ड्यूटी हेतु व्यवस्थापित कर सकेंगे।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं की शान्ति व्यवस्था ड्यूटी के कारण प्रभावित कार्य दिवस के बराबर प्रशिक्षण अवधि बढ़ाये जाने का अधिकार प्रशिक्षण निदेशालय का होगा। यह कार्य सम्बन्धित संस्था प्रमुख के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त किया जायेगा।

25- प्रशिक्षकों के लिए निर्देश-

(क) सामान्य निर्देश-

(i) प्रशिक्षुओं के आत्म-सम्मान को चोट न पहुँचने पाये। उन्हें स्वयं अपना तथा दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाये। आवश्यक है कि उनमें हीनभावना न पनपने पाये और यदि पूर्व से ऐसी भावना हो तो उसे निकाला जाये। एक आत्मसम्मान वाला आरक्षी ही नागरिकों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा।

(ii) प्रशिक्षुओं में अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का साहस पैदा किया जाये। हानि की कीमत पर भी असत्य का सहारा न लेने की भावना जागृत की जाये।

(iii) प्रशिक्षुओं के अन्दर प्रजातांत्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता की भावना जागृत करना प्रशिक्षकों का प्रमुख दायित्व है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाये कि अशिष्ट/उद्दण्ड व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुये, शिष्ट शब्दों से वार्ता करके शान्त करने का कौशल उनमें आ जाये।

(iv) प्रशिक्षुओं को व्यक्तियों से सम्मानजनक व्यवहार का बोध एवं अभ्यास कराया जाये, चाहे वह व्यक्ति पीड़ित हो, अभियुक्त हो, घायल हो अथवा बन्दी हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर बल प्रयोग किया जाये, उनके साथ भी शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये। घायलों/शवों को उठाते/ परिवहन करते समय व्यक्ति की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये।

(v) प्रशिक्षुओं में अपनी गलती होने पर क्षमा प्रार्थना करना/ खेद व्यक्त करना आवश्यक है। नागरिकों को असुविधा होने पर भी क्षमा मांगना उच्चकोटि के शिष्टाचार का द्योतक है। उदाहरणार्थ-तलाशी लेने से पूर्व या गिरफ्तारी करते समय "क्षमा करियेगा/ माफ करियेगा" इत्यादि संबोधन उचित हैं। नागरिकों को उनके द्वारा दिये गये किसी भी सहयोग के लिये धन्यवाद अवश्य दिया जाना चाहिये। इसका बोध तथा अभ्यास प्रशिक्षुओं को कराया जाये।

(vi) प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली (Methodology) के सम्बन्ध में निर्देश प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षुओं को अध्ययन कराते समय निम्न विधियां प्रयोग में लायी जायेगी।

a) व्याख्यान (Lecture)

b) समूह संवाद (Group Discussion)

c) प्रदर्शन (Demo)
d) सहभागी प्रशिक्षण (Participative Training)
e) अपराध दृश्य अनुकरण (Crime Scene Simulation)
f) प्रशिक्षण फिल्म (Training Film)
g) ऑडियो विजुअल के माध्यम से (Audio Visual)
h) Lec-Dem के माध्यम से प्रज़ेन्टेशन

(ख) अन्तःकक्षीय प्रशिक्षकों के लिए निर्देश-

(i) प्रशिक्षक प्रत्येक कालांश के लिए उच्चकोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ (Lesson plan) पहले ही तैयार कर लेंगे। जो भी प्रशिक्षक अथवा अतिथि प्रवक्ता कोई भी कक्षा लेंगे, उसके पूर्व क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक सारांश बनाकर इण्डोर प्रभारी को पहले ही उपलब्ध करा देंगे।

(ii) प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि का कार्यक्रम तैयार करायेंगे तथा सप्ताहवार कार्यक्रम जारी करेंगे।

(iii) प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है, कि वह लेसन प्लान के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करें।

(iv) प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि कालांश के लिये उच्च कोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ पहले ही तैयार कर लें। प्रशिक्षक इसमें अपने व्यावहारिक व उपयोगी अनुभव का समावेश भी करें।

(v) पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करा दी जाये, जिससे वे स्वयं तैयार होकर आयें और कक्ष प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ उठा सकें।

(vi) विषय वस्तु स्लाइड व पिक्चर पर तैयार करें एवं यथासम्भव पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें। संस्था प्रमुख से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता चेक कराना सुनिश्चित करें।

(vii) प्रशिक्षु को व्यावहारिक ज्ञान, सुरक्षा/वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी व अन्य ड्यूटी आदि के पूर्व मौलिक सिद्धान्त समझाये।

(viii) ऐसे प्रश्न तैयार किये जायें, जिसके उत्तर में, पाठ के महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित हों। पाठ को रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न दिया जाये।

(ix) सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख-रखाव भी साफ-सुथरा हो।

(x) प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात् संदेहों को दूर करें।

(xi) मूल्यांकन में कम अंक पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दें तथा तेजस्वी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ायें। प्रशिक्षणार्थियों की व्यवसायिक दक्षता सुधारने में उनकी मदद करेगें।

(xii) ज्ञान जन सेवा के लिए है, अतः प्रत्येक विषय या अंश का क्रियात्मक अभ्यास अवश्य कराया जाए।

(ग) वाह्य कक्षीय प्रशिक्षकों के लिए निर्देश-

(i) सभी प्रशिक्षक, प्रशिक्षुओं को पद कवायत का प्रशिक्षण **ड्रिल नर्सरी** से प्रारम्भ करायेंगे।

(ii) सभी प्रशिक्षक परेड ग्राउण्ड अपनी टोली के साथ जायेगें एवं प्रशिक्षण उपरान्त परेड ग्राउण्ड से टोली के साथ ही वापस आयेगें।

(iii) कोई भी प्रशिक्षक परेड ग्राउण्ड पर साइकिल/ मोटर साइकिल/ गाड़ी से नही जायेगें।

(iv) प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि परेड / खेलकूद के दौरान सभी प्रशिक्षु उपस्थित रहें।

(v) टोली प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि टोली में कोई प्रशिक्षु बीमार होता है तो तत्काल इसकी सूचना नियमानुसार उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी।

(vi) पाठ को सुविधाजनक भागों (कालांशों) में विभाजित करें तथा सबक चलायें

(vii) विषय के अनुसार हिन्दी में व्याख्या करें।

(viii) अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन द्वारा नमूना दें।

(ix) विभिन्न हरकतों को एक-एक करके प्रत्येक प्रशिक्षु से कराया जाए, ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सके।

(x) प्रत्येक प्रशिक्षु की त्रुटियों को व्यक्तिगत रूप से नाम से पुकार कर सही करें। अनावश्यक टीका-टिप्पणी न करें, जब तक कि प्रत्येक प्रशिक्षु उससे भिज्ञ न हो जाये कि सही क्या है, तब तक अतिरिक्त समय में विशेष कालांश में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करें। इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रशिक्षुओं का मनोबल न गिरने पाये।

(xi) वर्ड ऑफ कमाण्ड तेज व साफ शब्दों में दें।

(xii) शारीरिक प्रशिक्षण के पाठ इस प्रकार सिखायें जो उसके पूरे जीवन के लिए लाभकारी हों।

(xiii) विभिन्न खेलों जैसे तैराकी, एथलेटिक्स व कठिन बाधाओं को पार करने में रूचि उत्पन्न करायें।

(xiv) प्रशिक्षणार्थियों की रूचि के अनुसार जूडो-कराटे/कुश्ती/बाक्सिंग आदि विभाजित कर टोलियों में आयोजित करायें।

(xv) आउटडोर के समस्त विषयों का व्यवहारिक अभ्यास अवश्य करायें। उदाहरणार्थ-घर की तलाशी, जंगल का कार्डन व तलाशी, आबादी वाले क्षेत्र का कार्डन व तलाशी, वाहन की तलाशी, जमीनी आड़/छिपाव हासिल करते हुये सशस्त्र व्यक्तियों का पीछा करना एवं फायर करना/दबोचना, बन्द कमरे/भवन में दाखिल होना, भवन के अन्दर प्रवेश एवं सशस्त्र कार्यवाही, हिंसक भीड़ पर बल प्रयोग, हिंसक व्यक्ति को बिना शारीरिक चोट पहुंचाये हुए बन्दी बनाना/परिरूद्ध करना, अशिष्ट/उददण्ड व्यक्ति को बिना उत्तेजित हुये वार्ता करना एवं उसे शांन्त करना इत्यादि का पर्याप्त अभ्यास कराया जाये।

वाह्य विषयों के प्रशिक्षण को पाठयक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा नामित वाह्य प्रशिक्षण प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

26. परीक्षा का संक्षेप

(1) अन्तः विषयों की परीक्षायें

(i) प्रशिक्षण की समाप्ति पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा केन्द्रीय रूप से अन्तः विषयों की परीक्षायें, परीक्षा समिति द्वारा आयोजित करायी जायेगी। अन्तः विषयों की परीक्षायें वस्तुनिष्ठ (**Objective**) होगी। प्रत्येक दिन एक प्रश्न-पत्र की परीक्षा आयोजित होगी।

(ii) सम्पूर्ण प्रदेश में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं हेतु प्रश्नपत्र/उत्तर-पुस्तिकाएं पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मुद्रित कराकर ओ0एम0आर0 प्रणाली से मूल्यांकन कराया जायेगा।

(2) बाह्य विषयों की परीक्षायें

(i) समस्त बाह्य प्रशिक्षण की परीक्षायें प्रशिक्षण की समाप्ति पर संस्था प्रमुख द्वारा सम्पन्न करायी जायेंगी। इसके लिये पर्याप्त बाह्य परीक्षक बुलाये जायेंगे, जो पुलिस उपाधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगे।

(ii) बाह्य विषयों की अन्तिम परीक्षा, प्रशिक्षण की समाप्ति पर उसी समय करा ली जाये, उनमें प्राप्त अंक सील बन्द करके उसी दिन संस्था प्रमुख को प्राप्त करा दिये जायेंगे-

(3) न्यूनतम अंक- उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख के मूल्यांकित 50 अंकों में से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(4) पूरक प्रशिक्षण

(i) अन्तः एवं वाह्य विषयों अथवा दोनों प्रकार के विषयों की परीक्षा में कुल एक विषय में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षु आरक्षियों का 30 कार्य दिवस का पूरक प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त परीक्षा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप कराई जायेगी। 02 या उससे अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षु आरक्षियों का 90 कार्य दिवस का पूरक प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त परीक्षा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप कराई जायेगी। प्रशिक्षण/ परीक्षा उन्हीं विषयों की कराई जायेगी, जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहे हों। यदि कोई प्रशिक्षु अन्तः एवं वाह्य सभी विषयों में उत्तीर्ण हो परन्तु साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे भी 30 दिवस के पूरक प्रशिक्षण उपरान्त सिर्फ साक्षात्कार में उपस्थित होकर साक्षात्कार के कुल अंकों का कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ii) किसी भी विषय की परीक्षा में नकल करते हुये पकड़े जाने पर प्रशिक्षु की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त मानी जाएगी और प्रशिक्षु को तत्काल प्रशिक्षण से उसकी नियुक्ति जनपद को वापस कर दिया जायेगा । प्रकरण की विस्तृत आख्या पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय को सूचित करते हुए नियुक्ति जनपद के पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जायेगी । इस कार्यवाही के उपरान्त यदि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाता है कि उसे सेवा में रखा जाना है तो उसका पूरक प्रशिक्षण कम से कम 90 कार्य दिवस का कराया जायेगा तथा प्रशिक्षण के उपरान्त सभी विषयों की परीक्षा पुनः संपादित कराई जायेगी।

(5) विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी

ऐसे समस्त प्रशिक्षणार्थियों को जो सम्पूर्ण विषयों में प्राप्तांकों के योग में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी (एक्सीलेण्ट कैडेट) घोषित किया जायेगा । विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी घोषित करने में उसके द्वारा प्रशिक्षण की अवधि में किये गये विशिष्ट कार्य तथा पुरस्कार आदि को ध्यान में रखा जायेगा, परन्तु ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिसके सम्बन्ध में प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई हो या जिसका आचरण प्रशिक्षण काल में वांछित स्तर की न रहा हो, विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी घोषित नहीं किया जायेगा, भले ही उसने 80 प्रतिशत अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो । संस्था प्रभारी द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षणार्थियों को अलग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(6) प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम का निर्धारण वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार किया जायेगा-

(i) प्राप्तांको के आधार पर।

(ii) प्राप्तांक समान होने पर अन्तः विषयों में अधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर।

(iii) प्राप्तांक एवं अन्तः विषयों में अंक समान होने पर जन्मतिथि की वरिष्ठता के आधार पर

(iv) पूरक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले श्रेष्ठताक्रम में सबसे नीचे रखे जाएंगे।

(7) अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षुओं का पूरक प्रशिक्षण बिन्दु संख्या 26(4)(i) के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशो के अनुरूप आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त संबधित विषयों की पूरक परीक्षा ली जायेगी । इन प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण सभी प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम के नीचे उपरोक्तानुसार क्रमशः निर्धारित किया जायेगा । परीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाए, जिससे नकल न होने पाए । परीक्षायें, संस्था प्रमुख की उपस्थिति में पर्याप्त पर्यवेक्षण स्टाफ के साथ संपन्न कराई जाएं।

27- पुरस्कार

प्रशिक्षण की समाप्ति पर निम्नलिखित पुरस्कार/ प्रशस्ति पत्र अथवा दोनों प्रदान किये जायेंगे:

आन्तरिक विषय:-

(i) प्रत्येक विषय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को,

(ii) सभी आन्तरिक विषयों के योग में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को,

वाह्य विषय:-

(i) प्रत्येक विषय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को,

(ii) सभी वाह्य विषयों के योग में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को,

सर्वांग सर्वोत्तम:-

वाह्य, आन्तरिक एवं साक्षात्कार के आधार पर सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को प्रशिक्षणार्थी का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

परेड कमाण्डर:-

परेड कमाण्डर प्रथम एवं द्वितीय को भी पुरस्कृत किया जायेगा।

प्रशिक्षण में विशेष अभिरूचि रखने वाले उत्कृष्ट उपनिरीक्षक अध्यापक, आई0टी0आई0/ पी0टी0आई0 को भी प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा अलग से पुरस्कृत किया जायेगा।

28. अत्यधिक कुशल प्रशिक्षुओं की सूची

खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एनाउन्समेन्ट इत्यादि में अत्यधिक कुशल प्रशिक्षुओं की डेटाबेस बनायी जाये एवं इसे प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त अपडेट किया जाये। यह सूची प्रशिक्षण निदेशालय, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ एवं जोन के साथ भी साझा किया जाये।

29. फीडबैक

(i) अन्तःकक्षीय / बाह्यकक्षीय प्रशिक्षकगण के बारे में प्रशिक्षुओं से 02 माह में फीडबैक लिया जाए ताकि उनके द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जा सके।

(ii) प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा संस्था के बारे में फीडबैक प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि में लिया जायेगा जिससे फीडबैक में दर्शायी गयी कमियों को समय से सुधारा जा सके।

30. प्रशिक्षण की रूपरेखा

आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत होगा।

1.	आधारभूत प्रशिक्षण लगातार संस्थानों में	06 माह (180 दिवस)
2.	व्यवहारिक प्रशिक्षण	06 माह (180 दिवस)

31. सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दिवस एवं कालांश

क्र0सं0	विषय	दिवस
1.	प्रशिक्षण की अवधि	180 दिवस (06 माह)
2.	रविवार एवं अवकाश की संख्या	36 दिवस
3.	"जीरो परेड" की अवधि	03 दिवस
4.	मध्यावधि/ सामूहिक अवकाश	02 दिवस
5.	अन्तिम परीक्षा (अन्तः विषय, वाह्य विषय एवं साक्षात्कार)	14 दिवस
6.	दीक्षान्त परेड का अभ्यास	06 दिवस
7.	फायरिंग	02 दिवस
8.	जंगल कैम्प	03 दिवस
9.	प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कुल दिवस	114 दिवस
10.	अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन 6 कालांश के अनुसार (114X6) कुल कालांशों की संख्या	684 कालांश
11.	वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन 5 कालांश के अनुसार (114X5) कुल कालांशों की संख्या	570 कालांश
12.	प्रशिक्षण हेतु कुल कालाँशों की संख्या	**1254 कालांश**

नोट- अन्तःकक्षीय एवं वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के प्रत्येक कालांश की अवधि 40 मिनट होगी।

32. सम्पूर्ण प्रशिक्षण के कालांशों एवं अंकों की गणना

क्र0सं0	विषय	कालांश	अंक
1.	आन्तरिक विषय	684	750
2.	वाह्य विषय	570	600
3.	प्रधानाचार्य/ संस्था प्रभारी (साक्षात्कार के अंक)	-	50
	योग	**1254**	**1400**

33. आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषयों, कालांशों एवं अंकों का विवरण

अ – आन्तरिक विषयों के कालांशों एवं अंकों का विवरण

क्र.सं.	विषय	विषय वस्तु	कालाँश	पूर्णांक
1	प्रथम समूह	पुलिस का इतिहास, पुलिस संगठन, अन्तर्विभागीय समन्वय, पुलिस कार्यप्रणाली एवं अनुशासन	100	100
2	द्वितीय समूह	अपराध नियन्त्रण, विवेचना, अभियोजन एंव पुलिस रेगुलेशन	100	100

3	तृतीय समूह	सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आपदा प्रबन्धन, यातायात नियन्त्रण, पुलिस रेडियो एंव दूरसंचार, गार्द ड्यूटी, बन्दी स्कोर्ट, हवालात ड्यूटी	100	100
4	चतुर्थ समूह	भारतीय संविधान, मानवाधिकार तथा बाल संरक्षण एंव लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस आचरण, व्यवहार एंव संवाद कौशल	100	100
5	पंचम समूह	अपराध विधि- भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम,	100	100
6	षष्टम समूह	विविध अधिनियम	84	100
7	सप्तम समूह	कम्प्यूटर साइंस एंव साइबर क्राइम	50	100
8	अष्टम समूह	विधि विज्ञान, विधि चिकित्सा शास्त्र, प्राथमिक उपचार	50	50
		योग	684	750

नोट-

1. अन्तः विषयों का प्रत्येक माह मूल्यांकन किया जायेगा। इस मूल्यांकन को आन्तरिक विषयों के परीक्षा के योग में सम्मिलित नही किया जायेगा। इसे सिर्फ प्रशिक्षुओं में सुधार हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
2. अन्तिम परीक्षा 750 अंकों की होगी। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जो प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा नामित संस्था द्वारा करायी जायेगी।

ब- बाह्य विषय के कालांशों एवं अंकों का विवरण

क्र.सं.	विषय	विषय वस्तु	कालाँश	पूर्णांक
1	प्रथम समूह	शारीरिक प्रशिक्षण	100	100
2	द्वितीय समूह	पदाति प्रशिक्षण	100	75
3	तृतीय समूह	शस्त्र प्रशिक्षण	65	65
4	चतुर्थ समूह	जंगल प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स	65	75
5	पंचम समूह	भीड़ नियन्त्रण	30	50
6	षष्टम समूह	अनआर्म्ड काम्बैट (यू0ए0सी0)	25	30
7	सप्तम समूह	योगासन	25	35
8	अष्टम समूह	यातायात नियन्त्रण	30	40
9	नवम् समूह	आतंकवाद व डकैती निरोधक प्रशिक्षण एवं वन मिनट ड्रिल	100	85
10	दशम समूह	विशिष्ट तलाशी अभियान	30	45
		योग	**570**	**600**

<u>नोटः-</u>

1. वाह्य विषयों का प्रत्येक माह मूल्यांकन किया जायेगा, जिसका उपयोग प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के सुधार के लिए किया जायेगा।
2. मौसम को देखते हुए प्रशिक्षण के समय में स्थानीय स्तर पर संस्था प्रमुख द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
3. अन्तः एवं वाह्य विषयों के विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जायेगा एवं प्रचलित नियम से इसका भुगतान किया जायेगा।

4. वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के उपविषय जंगल ट्रेनिंग के अन्तर्गत एच.आई.वी., कोविड इत्यादि से बचाव करते हुए फस्ट रेस्पान्डर की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

स- साक्षात्कार हेतु अंकों का निर्धारण

(i) व्यक्तित्व परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिये निर्धारित 50 अंक संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, आचरण, गम्भीरता एवं रुचि को ध्यान में रखते हुये निम्नवत दिये जायेंगे-

क्र0सं0	विषय	अंक
1	शैक्षणिक योग्यता	05
2	वर्दी एवं टर्न आउट	05
3	नेतृत्व क्षमता	05
4	अनुशासन	05
5	खेलकूद में अभिरूचि	05
6	सांस्कृतिक अभिरूचि	05
7	संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षु के समग्र प्रशिक्षण के आधार पर दिये जाने वाले अंक	20
योग		**50**

(ii) विभिन्न प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाना (अधिकतम 10 अंक)

क्र.सं.	**विषय**	**अंक**
1	गम्भीर अनुशासनहीनता	04
2	विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश, सिक 1/2 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम	03
3	अर्दली रूम (आदेश कक्ष) में दण्ड	02
4	प्रत्येक डिफाल्टर / चेतावनी	01

34. दैनिक समय सारिणी

समय सारणी आन्तरिक विषय

क्र0सं0	कालांश	समय	कालांश अवधि
1.	प्रथम कालांश	10.00 से 10.40 बजे तक	40 मिनट
2.	द्वितीय कालांश	10.40 से 11.20 बजे तक	40 मिनट
3.	तृतीय कालांश	11.20 से 12.00 बजे तक	40 मिनट
मध्यांतर		12.00 से 12.10 बजे तक	10 मिनट
4.	चतुर्थ कालांश	12.10 से 12.50 बजे तक	40 मिनट
5.	पंचम कालांश	12.50 से 13.30 बजे तक	40 मिनट
6.	षष्टम कालांश	13.30 से 14.10 बजे तक	40 मिनट

समय सारणी वाह्य विषय

प्रथम पाली

क्र0सं0	कालांश	समय	कालांश अवधि
1.	प्रथम कालांश	06.00 से 06.40 बजे तक	40 मिनट
विश्राम		06.40 से 06.50 बजे तक	10 मिनट
2.	द्वितीय कालांश	06.50 से 07.30 बजे तक	40 मिनट
विश्राम		07.30 से 07.35 बजे तक	05 मिनट
3.	तृतीय कालांश	07.35 से 08.15 बजे तक	40 मिनट
भोजनावकाश एवं वाह्य कार्यक्रम			
4.	चतुर्थ कालांश	16.00 से 16.40 बजे तक	40 मिनट
विश्राम		16.40 से 16.45 तक	05 मिनट
5.	पंचम कालांश (खेलकूद)	16.45 से 17.20 बजे तक	40 मिनट

नोट- स्थानीय आवश्यकताओं एवं मौसम के अनुसार कालांश कार्यक्रम संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

35. आरक्षी ना0पु0 (सीधी भर्ती/ मृतक आश्रित) आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु

(अ) आन्तरिक विषय

प्रथम समूह – पुलिस का इतिहास, पुलिस संगठन, अर्न्तविभागीय समन्वय, पुलिस कार्यप्रणाली एवं अनुशासन

कालाँश – 100 **पूर्णांक – 100**

1. पुलिस का इतिहास

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	भारतीय पुलिस का इतिहास (उ0प्र0 के विशेष सन्दर्भ में)	2
2	जनतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका	2
3	पुलिस स्मृति दिवस व शहीद	2
4	पुलिस कर्मियों हेतु उपलब्धियां तथा पुरस्कार	2
5	पुलिस के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ	2
6	उ0प्र0 पुलिस में बेस्ट प्रैक्टिसेस (1090, यू0पी0 112, वर्चुअल क्लास)	2
	योग	**12**

2. पुलिस संगठन

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	**केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं शाखायें -**	
	(i). सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (CAPF) – बी.एस.एफ (BSF), सी.आर.पी.एफ. (CRPF), सी.आई.एस.एफ. (CISF), आई.टी.बी.पी. (ITBP), एस.एस.बी. (SSB), एन.एस.जी. (NSG), एस.पी.जी. (SPG)	3
	(ii). सेन्ट्रल पुलिस आर्गेनाइजेशन (C.P.O.) - सी.बी.आई. (CBI), आई.बी. (IB), आर.ए.डब्लू. (RAW), बी.पी.आर.एण्डडी. (BPR&D), एन.आई.ए. (NIA), एन.सी.आर.बी. (NCRB), एन.डी.आर.एफ. (NDRF), एन.सी.बी. (NCB), एन.टी.आर.ओ. (National Technical Research Organization), एन.पी.ए. (NPA), सी.एफ.एस.एल. (CFSL) (नई दिल्ली, चण्डीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद), संदिग्ध अभिलेखों का सरकारी परीक्षण कार्यालय (शिमला, कोलकाता, हैदराबाद)	5
2	**उ0प्र0 पुलिस संगठन एवं शाखायें -**	
	(i). उ0प्र0 पुलिस का संगठनात्मक ढाँचा (आरक्षी से पुलिस महानिदेशक), पुलिस के प्रतीक चिन्ह, पदक एवं अलंकरण	3
	(ii). पुलिस महानिदेशक कार्यालय एंव शाखायें- पुलिस महानिदेशक कार्यालय, पुलिस महानिदेशक के सहायक का कार्यालय, कार्मिक कार्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था कार्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना कार्यालय, काइम ब्रान्च कार्यालय, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड, सुरक्षा शाखा, मानवाधिकार प्रकोष्ठ, लोक शिकायत, लीगल सेल, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,	9

	इलाहाबाद, रेलवे पुलिस, 1090 (Women Power Line), महिला सम्मान प्रकोष्ठ, एस.आई.टी. (SIT), यातायात निदेशालय, अग्निशमन सेवायें, पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, एस.सी.आर.बी. (SCRB), उ0प्र0 विघुत निगम, सेन्ट्रल स्टोर कानपुर, सेन्ट्रल रिजर्व सीतापुर, राज्य मोटर परिवहन, यू.पी-112, एस.टी.एफ. (STF), ए.टी.एस. (ATS)	
3	जोन कार्यालय एवं परिक्षेत्र कार्यालय	5
4	**पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जिला स्तरीय शाखायें -**	
	(i) पुलिस कार्यालय - प्रधान लिपिक कार्यालय, आंकिक कार्यालय, शिकायत प्रकोष्ठ, डी.सी.आर.बी. (DCRB), विशेष जाँच प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, सम्मन सेल, आई.जी.आर.एस. (IGRS) सेल, क्राइम ब्रांच, रिट सेल, पैरवी सेल, एफ.आई.आर. (FIR) सेल, नियन्त्रण कक्ष, रिपीटर कार्यालय, स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU)	6
	(ii) पुलिस लाइन – प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय, शस्त्रागार, जी0डी0 कार्यालय, स्टोर कार्यालय, कैश कार्यालय	2
	(iii) गोपनीय कार्यालय – आशुलिपिक कार्यालय, वाचक कार्यालय, सर्विलान्स सेल, पी.आर.ओ. (PRO), एस.ओ.जी. (SOG)	3
	(iv) अन्य कार्यालय- अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय	2
	(v) थाना, चौकी एवं बीट – कार्य एवं प्रकार, कार्य वितरण, रोलकॉल एवं ड्यूटी रोस्टर	2
5	**अन्य राज्य स्तरीय शाखायें -**	
	अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 होमगार्ड मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, सी0बी0सी0आई0डी0 मुख्यालय, रेडियो मुख्यालय, प्रशिक्षण निदेशालय, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, तकनीकी सेवायें (विधि विज्ञान प्रयोगशाला/फिंगर प्रिन्टब्यूरो), पी0ए0सी0 मुख्यालय।	6
	योग	**46**

3. अन्तः विभागीय समन्वय

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	**अपराधिक न्याय व्यवस्था की विभिन्न शाखायें**	2
2	**अन्य शाखायें –**	
	(i) राजस्व विभाग (ii) विकास विभाग (iii) पंचायती राज संस्थायें / स्थानीय निकाय (iv) परिवहन विभाग (v) वन विभाग (vi) खनन विभाग (vii) विद्युत विभाग	12

	(viii) आपूर्ति विभाग (ix) शिक्षा विभाग (x) चिकित्सा विभाग (xi) कारागार विभाग (xii) आबकारी विभाग	
3	**भू-अभिलेख एवं पैमाइश** – भूमि क्षेत्रफल प्रणाली (बीघा – विभिन्न प्रकार के बीघे एकड़ / हेक्टेयर) – विशेषज्ञ व्याख्यान	2
4	**तहसील दिवस, थाना दिवस तथा श्रावस्ती मॉडल का सामान्य ज्ञान**	2
	योग	**18**

4. पुलिस कार्यप्रणाली एवं अनुशासन

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2008 एवं 2015	2
2	उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली- 1991 (महत्वपूर्ण प्रस्तर)	2
3	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 (सामान्य परिचय)	2
4	अपेक्षित शिष्टाचार तथा विभागीय गोपनीयता	1
5	**सेवाभिलेख-** चरित्र पंजिका, सेवा पुस्तिका	2
6	ज्वाईनिंग, आमद एवं रवानगी के नियम तथा समस्याओं हेतु आवेदन	2
7	वर्दी पहनने के नियम (ड्रेस रेगुलेशन)	2
8	नियुक्ति, स्थानान्तरण, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	2
9	आवासीय सुविधायें सरकारी मकान आवंटन / मरम्मत / रख रखाव के दायित्व	1
10	चिकित्सीय सुविधा, अवकाश के नियम, अनुमन्य विभिन्न प्रकार के अवकाश	2
11	**सेवानिवृत्ति-** अधिवर्षता, स्वैच्छिक एवं अनिवार्य, शारीरिक अक्षमता के समय मिलने वाली सुविधायें	2
12	सेवाकाल में कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ एवं असाधारण पेंशन के नियम 07, 08, 09, 10	2
13	आरक्षी के कर्तव्य एवं शक्तियाँ	2
	योग	**24**

द्वितीय समूह – अपराध नियन्त्रण, विवेचना, अभियोजन एवं पुलिस रेगुलेशन

कालाँश – 100 पूर्णांक – 100

1. अपराध नियन्त्रण

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	बीट एंव गश्त व्यवस्था का परिचय	2
2	अपराध निरोधःमें बीट व्यवस्था की भूमिका	2
3	**बीट बुक एवं उसका रख-रखाव –** (i) बीट कर्तव्य – दिन व रात्रि में (ii) बीट कर्तव्य – शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में (iii) बीट से वापसी के उपरान्त की जाने वाली प्रक्रियायें	2
4	गश्त-प्रकार, नियम व उपयोगिता	2
5	ग्राम सुरक्षा समितियाँ एवं मोहल्ला सुरक्षा समिति का महत्व एवं उपयोगिता।	2
6	सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों/लाईसेन्सी शस्त्र धारकों की सहायता प्राप्त करना तथा चौकीदारों से सहयोग प्राप्त करना।	2
7	दुश्चरित्र व्यक्तियों की जाँच एवं निगरानी एंव फ्लाईशीट भरना।	2
8	अजनबियों एवं दुष्चरित्र व्यक्तियों की नामावली तैयार करना।	2
9	अभिसूचना संकलन में आरक्षी की भूमिका।।	2
10	अभिसूचना संकलन, भण्डारण, वर्गीकरण, विश्लेषण एंव निर्णय के तरीके, मुखबिरों (स्रोतो) को विकसित करना।	2
11	गतिशील चेकपोस्ट / नाकाबन्दी ड्यूटी।	2
12	अजनबियों/संदिग्धों से पूछतांछ तथा पूछतांछ का उचित एवं वैज्ञानिक तरीका।	2
	योग	**24**

2. विवेचना

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट, ध्यान देने योग्य तथ्य (धारा 154, 155 दंप्रसं)	2
2	**प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाते समय बरती जाने वाली सावधानी के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण केस लॉ**	
	(i) ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य रिट याचिका संख्या (किमिनल) 68/2008 मा0 उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि कुछ अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है। (ii) **श्रीमती रीना कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (जनपद रामपुर)** रिट पिटीशन संख्या -10792/2015 (iii) **श्रीमती शाहिदा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 08 अन्य (जनपद-सहारनपुर)** रिट पिटीशन	4

	संख्या-10756/2015 (iv) **रूपराम बनाम राज्य** प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या: 2028 पी छ:-पु0-3-13 (13) पी / 15 दिनांक: 23.07.2015 के पत्र में अंकित	
3	विवेचक के सहयोगी के रूप में आरक्षी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व	2
4	विवेचना का अभिप्राय, अन्तिम रिपोर्ट (एफ.आर., सी.एस.)	2
5	अभियुक्त के अधिकार **(डी0के0 बसु)**	2
6	अपराध घटना स्थल का अनुक्रम (SEQUENCE) तथा अपराध घटना स्थल को सुरक्षित एवं संरक्षित करना	2
7	चोट ग्रस्त / पीडित व्यक्ति के साथ बर्ताव	1
8	गिरफ्तारी कैसे सम्पन्न की जाये (क्रियात्मक अंश) आज्ञापरक / प्रतिरोधी / आक्रामक व्यक्ति की गिरफ्तारी सम्पन्न किया जाना	2
9	किसी व्यक्ति के पास पहुंचने का तरीका, जामा तलाशी के नियम, हथकडियों का प्रयोग कैसे करें	2
10	गिरफ्तारी / तलाशी मैमो तैयार करना	2
11	निरोधात्मक कार्यवाही के प्रकार एंव अपराध नियन्त्रण में उनका महत्व	2
12	सम्मन तामील करना एवं वारण्ट का निष्पादन करना	2
13	अभियुक्त को सुरक्षित ले जाना एवं न्यायालय में प्रस्तुत करना	2
14	अपेक्षित कागजी कार्यवाही सहित प्रदर्शों की पैकिंग, लेबलिंग व हैण्डलिंग किया जाना	2
15	शव परीक्षण हेतु मृत शरीर को अस्पताल / मुर्दाघर ले जाना	2
16	कार्यप्रणाली वर्गीकरण **(Modus operandi)**	2
17	**विवेचना के दौरान पुलिस मुठभेड़ में मारे गये व्यक्ति की विवेचना से सम्बन्ध में महत्वपूर्ण केस लॉ**	
	पीपुल्य यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य पुलिस इन्काउन्टर में मृत्यु एवं गंभीर चोटों के प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देश।	2
	योग	**35**

3. अभियोजन

क्र0सं0	**विषय**	**कालाँश**
1	अभियोजन का तात्पर्य एवं महत्व	2
2	जनपदीय न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायालयों की शक्तियाँ	2
3	अभियोगों की पैरवी में आरक्षी का योगदान	2
4	रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया में आरक्षी का योगदान	2
5	पैरोल एवं परीवीक्षा की विधि तथा छूटे हुए व्यक्तियों की निगरानी	2
	योग	**10**

4. पुलिस रेगुलेशन

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	**अध्याय – 1 अधिकारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य – वरिष्ठ अधिकारीगण** पैरा 1 से 17	3
2	**अध्याय – 5 सिविल पुलिस के सब इन्सपेक्टर और उनसे नीचे के पदाधिकारी, पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी** पैरा 43, 44, 61, 62, 63, 64, 65	3
3	**अध्याय – 10 थाने में की गयी सूचनाएं** पैरा 97 से 103	2
4	**अध्याय – 12 पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार** पैरा 129 से 131, 133 से 135, 137, 139, 143 से 146	3
5	**अध्याय – 13 निग्रह करना, जमानत तथा अभिरक्षा में रखना** पैरा 147 से 155, 159 से 164	4
6	**अध्याय – 15 विशेष अपराध** पैरा 174 से 178	2
7	**अध्याय – 17 पेट्रोल और पिकेट्स (गश्त तथा नाकाबन्दी)** पैरा 190 से 194	2
8	**अध्याय – 19 फरार अपराधी** पैरा 215 से 222	2
9	**अध्याय – 20 दुराचारियों के नाम रजिस्टर में अंकित करना और उनकी निगरानी** पैरा 223 से 275	8
10	**अध्याय – 22 अभिलेख और गोपनीयता दस्तावेज**	2
	योग	**31**

तृतीय समूह – सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आपदा प्रबन्धन, यातायात नियन्त्रण, पुलिस रेडियो एवं दूरसंचार, गार्ड ड्यूटी, बन्दी एस्कोर्ट, हवालात ड्यूटी

कालाँश – 100 **पूर्णांक – 100**

1. सुरक्षा

क्र0सं0	विषय	कालाँश
	(क) सामान्य सुरक्षा	
1	सुरक्षा परिदृश्य का परिचय, आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ	1
2	सन्देहजनक वस्तुओं को पहचानना एवं अनुवर्ती कार्यवाहीं	1
3	संतरी एवं गार्ड के कर्तव्य एवं पुलिस थाने व कैम्प की सुरक्षा	1
4	वाहन की तलाशी (बाह्य कक्षीय प्रदर्शन एवं व्यावहारिक प्रयोग के साथ सामन्जस्य सहित), गुजरते हुये वाहनों एवं वस्तुओं का अवलोकन करना (व्याख्यान एवं अवलोकन के अभ्यास)	1
5	अपराधियों के विरूद्ध दबिश व तलाशी के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानियां - उचित रणकौशल	1

6	**आत्मसुरक्षा -** उपकरण (बी.पी. जैकेट, हैडगेयर आदि), फायरिंग रेंज	1
	(ख) वी.आई.पी. सुरक्षा	
7	वी.आई.पी. सुरक्षा का महत्व व उद्देश्य	2
8	विभिन्न प्रकार के हमले व उनसे सुरक्षा	1
9	कार्यक्रम स्थल, रास्तों, रूकने के स्थान पर, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के मानक / एक्स., वाई., जेड सुरक्षा श्रेणियाँ, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य	1
10	प्रवेश नियन्त्रण, एन्टी सैबोटाज चैक, सुरक्षा उपकरणों जैसे डीएफएमडी, एचएचएमडी, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, इन्वर्टिङ मिरर आदि का प्रयोग (हैण्डलिंग)	2
11	कॉनवॉय ड्यूटी	1
12	पी.एस.ओ. ड्यूटी	1
	(ग) महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा	
13	महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का महत्व एंव उददेश्य।	1
14	दुश्मन के तौर-तरीकों का ज्ञान	1
15	हवाई अड्डे ,वायुयान ,रेलवे औद्योगिक संस्थान ,सार्वजनिक महत्व के भवन एवं सीमाएं	2
16	पोस्ट प्रोटेक्शन ड्रिल	1
	(घ) विस्फोटकों का परिचय, प्रकार	
17	विस्फोटकों का परिचय प्रकार एवं उनके लक्षणों की पहचान (व्याख्यात्मक प्रदर्शन)	1
18	डेटोनेटर, इसके प्रकार एवं पहचान (व्याख्यात्मक प्रदर्शन)	1
19	विस्फोटकों को पहचान लेने के पश्चात सावधानियां एवं सुरक्षात्मक कार्यवाही	1
20	**नियंत्रण यंत्र विन्यास (कमांड मेकैनिज्म)-** तार,रिमोट कंट्रोल, टाइमर, दबाव, प्रकाश आदि (व्याख्यायन प्रदर्शन)	2
21	आत्मघाती हमला / फिदायीन अटैक	2
	योग	**26**

2. लोक व्यवस्था एवं बन्दोबस्त

क्र0सं0	विषय	कालाँश
	(क) लोक व्यवस्था	
1	**जन सहभागिता**	
	(i) लोक व्यवस्था निर्माण में आरक्षी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	1
	(ii) लोक व्यवस्था बनाये रखने में जनता की भागीदारी, आवश्यकता एवं महत्व	1
2	**आतंकवादी, साम्प्रदायिक एवं अन्य हिंसा**	
	(i) आतंकवादी घटनाओं में पुलिस का उत्तरदायित्व	1
	(ii) सांप्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस ड्यूटी कर्तव्य एवं सावधानियां	1
	(iii) हिंसक आंदोलन, लोक जमाव / गोष्ठियों, विधि विरुद्ध जमाव (राजनीतिक, जातिगत, विद्यार्थी वर्ग आदि के विवादों) पर नियंत्रण	1

	(iv) औद्योगिक एवं मजदूर वर्ग के विवादों के समय पुलिस व्यवस्था (बंद ,हड़ताल एवं प्रदर्शन) आदि	1
3	**भीड़ नियन्त्रण**	
	(i) भीड़ के प्रकार, मनोविज्ञान व्यवहार	1
	(ii) भीड़ नियंत्रण की रणनीति अधिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थता	1
	(iii) विभिन्न प्रकार की भीड़ पर पुलिस बर्ताव विशेषकर उत्तेजित महिलाओं एवं बालकों से बर्ताव	1
4	**पुलिस अनुक्रिया (Police Response)**	
	(i) शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ रोकथाम की कार्यवाही	1
	(ii) आशंकित खतरे की रोकथाम हेतु धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही	1
	(iii) हिंसक आन्दोलन अथवा जमाव को तितर-बितर करने के समय पुलिस बल प्रयोग करने के प्राविधान	1
	(iv) न्यूनतम बल प्रयोग के सिद्धान्त, जिसमें पुलिस फायरिंग भी सम्मिलित है।	1
	(v) दंगा नियन्त्रण योजना का ज्ञान एवं कार्यवाही	1
	(ख) बन्दोबस्त ड्यूटियाँ	
1	**मेला ड्यूटी**	
	(i) मेला क्षेत्रों में कान्स ना0पु0 / सशस्त्र पुलिस एवं पी.ए.सी. की नियुक्ति-कर्तव्य एवं दायित्व	1
	(ii) यातायात, घुड़सवार अग्निशमन पुलिस, संचार, वॉच टावर,पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था	1
	(iii) अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त ड्यूटी एवं अभिसूचना संकलन हेतु विभिन्न स्रोतों का उपयोग	1
	(iv) कुम्भ मेला 2013 के दौरान भगदड़ की केस स्टडी	1
2	**त्यौहार ड्यूटी**	
	(i) त्यौहारों का प्रबन्ध व पुलिस की भूमिका,	1
	(ii) त्यौहारों पर कान्स0 ना0पु0/सशस्त्र पुलिस, पी0ए0सी0 की नियुक्ति-कर्तव्य एवं आचरण,	1
	(iii) संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी के दौरान सावधानियाँ तथा यातायात व्यवस्था करना	1
	(iv) शान्ति भंग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करना।	1
3	**चुनाव ड्यूटी**	
	(i) मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को शांतिपूर्वक मतदान करने का वातावरण प्रदान करना तथा अपने व्यवहार में निष्पक्षता रखना	1
	(ii) बैलेट बॉक्स, वोटिंग मशीन व मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना	1
	(iii) मतगणना के समय ड्यूटी	1
	(iv) चुनाव परिणामों के बाद विजय जुलूसों के समय शान्ति व्यवस्था ड्यूटी	1
4	**सामान्य ड्यूटी**	
	पिकेट - आवश्यकता, प्रकार एवं गार्द से भिन्नता	1
	बाजारों में पिकेट व नाकाबन्दी	1
	योग	**28**

3. आपदा प्रबन्धन

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका	1
2	आपदा प्रबन्धन की जिला स्तरीय योजनायें	1
3	आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में अन्य विभागों से समन्वय	1
4	आपदा प्रबन्धन में गैरसरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) की भूमिका	1
5	बचाव एवं राहत की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, सामान्य तकनीकी, विभिन्न चरण, महत्ता, विभिन्न उपकरण, कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व	2
6	बाढ़ राहत कार्य में पुलिस एवं पीएसी की भूमिका	1
7	अन्य आपदायें / बड़ी दुर्घटनायें - विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़ इत्यादि के दौरान कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व	1
8	सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं के समय कार्ययोजना एवं पुलिस का उत्तरदायित्व	1
9	आग की घटनायें-अग्निशमन / बचाव कार्य	1
10	गम्भीर दुर्घटनाओं/आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उसके नियन्त्रण हेतु पुलिस कार्यवाही	1
11	मॉक ड्रिल	1
12	आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act 2005)	1
13	राज्य आपदा मोचन बल (S.D.R.F.) (State Disaster Response Force)	1
	योग	**14**

4. यातायात नियन्त्रण

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	मोटर व्हिकिल एक्ट (M.V ACT) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध	3
2	यातायात पुलिस संगठन एवं कार्य / कर्तव्य	2
3	यातायात नियन्त्रण की युक्तियाँ एवं उपकरण एवं उनका प्रयोग	1
4	सडक सुरक्षा, उ0प्र0 में सडक दुर्घटना के कारण	1
5	यातायात चिन्ह एवं संकेत	1
6	यातायात उल्लंघन एवं चालान की प्रकिया	1
7	क्रासिंग पर यातायात विनियमित करना	1
8	दुर्घटना स्थल पर पहरा देना, विधि साक्ष्य जैसे स्किड मार्स की सुरक्षा करना और यातायात दिशा परिवर्तन करना	1
9	दुर्घटना पीड़ितों का बचाव, प्राथमिक चिकित्सा देना एवं अस्पताल तक ले जाना	1
10	यातायात जाम के समय कर्तव्य	1
11	वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैश / बत्ती तथा हूटर व साइरन के प्रयोग करने सम्बन्धी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों / अधिकारियों की जानकारी	1

12	कार्यक्रम स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था संबंधी ज्ञान	1
13	छात्र / छात्राओं को ले जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानियाँ	1
14	संदिग्ध व्यक्तियों / अपराधियों का पीछा करते समय सावधानियाँ	1
	योग	**17**

5. पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	रेडियो दूरसंचार प्रणाली का परिचयः क्या करें, क्या न करें	1
2	पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली वी0एच0एफ0, रिपीटर, यू.एच.एफ. संचार प्रणाली, एच.एफ., पोलनेट	2
3	रेडियो संदेश बनाना, लिखना, संदेशों का वर्गीकरण एवं इनकी प्राथमिकताएं	1
4	वायरलैस सेटों की हैण्डलिंग, सामान्य खराबियाँ एवं उनका निराकरण	1
5	हैण्ड हेल्ड, स्टैटिक मोबाईल, वायरलैस सेट पर कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान	1
6	सी0सी0आर0, डी0सी0आर0 की कार्यप्रणाली एंव कन्ट्रोल रूम का विस्तृत ज्ञान	1
7	काल साइन का परिचय	1
	योग	**8**

6. गार्ड ड्यूटी, बन्दी एस्कोर्ट, हवालात ड्यूटी

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	गार्ड एवं एस्कोर्ट रूल्स नियम - नियम संख्या - 7 से 10, 12, 14, 15, 17 से 19, 21, 22, 24, 32, 37, 32, 37, 62, 76, 106, 153, 163, 185, 194, 196, 197	2
2	पुलिस स्टेशन ड्यूटी, संतरी ड्यूटी, टेलीफोन ड्यूटी, वॉयरलैस ड्यूटी, रिसेप्शन ड्यूटी	1
3	शिकायतों की प्राप्ति, मैसेंजर ड्यूटी, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट	1
4	जाँच तथा सत्यापन के दौरान कथन अंकित करना, कोर्ट सहायक ड्यूटी	1
5	पुलिस स्टेशन पर त्वरित कार्यकारी दल, रजिस्टर और अभिलेखों का रख-रखाव	1
6	वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ड्यूटी (हमराह)	1
	योग	**7**

चतुर्थ समूह – भारतीय संविधान, मानवाधिकार एवं लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस आचरण, व्यवहार एवं संवाद कौशल

कालाँश – 100 **पूर्णांक – 100**

1. भारतीय संविधान

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषतायें	2
2	मौलिक अधिकार – अनुच्छेद 21, 32, 226	2
3	पुलिस के अधिकारों पर निर्बन्धन – अनुच्छेद 311	2
4	मूल कर्तव्य – अनुच्छेद 51ए	2
5	जनहित याचिका – उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायलय	2
6	मा0 सांसद, विधायक, न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार	2
	योग	**12**

नोट: उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु रिक्रूट आरक्षी, पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के सम्बन्ध में संवैधानिक प्राविधानों की सामान्य जानकारी को ढंग से समझने में समर्थ हो।

2. मानवाधिकार

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग – कार्य एवं शक्तियाँ	2
2	मानवाधिकारों की अवधारणा एवं उसका महत्व	2
3	**संवैधानिक प्राविधान व महत्वपूर्ण केस लॉ**	1
	(i) महबूब बाचा बनाम राज्य द्वारा पुलिस अधीक्षक 2011 (74) एसी0सी0, 600 (एस0सी0) इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि अभिरक्षा में मौत (Custody death) सभ्य समाज का सबसे घृणित अपराध है। इसे रोका जाना चाहिए तथा देश के सभी राज्यों के गृह सचिव एवं पुलिस महानिर्देशकों को अभिरक्षा में होने वाली मौतों को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिये हैं।	1
	(ii) खेड़त मजदूर चेतन संगठन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए0आई0आर0 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ) पुलिस का कर्तव्य अपने कानूनी अधिकारों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों की सुरक्षा करना है न कि यातना देना।	1
4	मानवाधिकार के संरक्षण व संवर्धन में पुलिस की भूमिका	2
5	**पुलिस उपसंस्कृति (Police Sub- Culture)**	
	(i) वर्षों पुरानी रूढ़ियां	1
	(ii) पीडितों से दुर्व्यवहार	1
	(iii) भ्रष्टाचार	1
	(iv) खराब टर्न-आउट	1

	(v) अवैध निरूद्धि (Illegal Detection)	1
	(vi) प्रताड़ना एवं थर्ड डिग्री	1
	(vii) पुलिस अभिरक्षा में हिंसा एवं बलात्कार	1
	(viii) पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	1
	(ix) फर्जी मुठभेड़	1
	(x) पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग	1
6	मानवाधिकार एवं अपराध पीड़ित परिवार, साक्षी, अभियुक्त से व्यवहार विषयक विभागीय निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय।	2
7	**ए- दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642** **बी- जोगेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य 1994 सीआरएलजे 1981** गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाषित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं।	2
8	समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचार व उनके संरक्षण में पुलिस की भूमिका	1
9	शिकायतकर्ताओं एवं अपराधों के भुक्त भोगियों, संदिग्धों, गिरफ्तार व्यक्तियों विशेष कर महिलाओं एवं बच्चों के साथ व्यवहार के संबंध में विभागीय निर्देश और न्यायिक मार्गदर्शक बिन्दु	2
10	गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के अधिकार एंव हथकड़ियों के उपयोग के संबंध में विभागीय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन। **सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099** **सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743** इन विधि व्यवस्थाओं में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में अनुमन्य है।	2
	योग	**28**

3. बाल संरक्षण एवं लैंगिक संवेदनशीलता

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	लैंगिक सवेंदनशीलता से आशय एंव उसका महत्व	2
2	महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध-पुलिस की भूमिका	2
3	पुलिस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण व कानूनी दृष्टि से अपेक्षित व्यवहार	2
4	पुलिस थाना स्तर पर पीड़ित महिलाओं के प्रति पुलिस का आचरण एंव व्यवहार	2
5	विभिन्न अपराधों एवं अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से साक्षात्कार की विधियाँ	2
6	महिला पुलिस एवं पुलिस कार्य में उनकी भूमिका तथा महिला पुलिस कर्मियों से व्यवहार	2
7	महिला अभियुक्तों की गिरफतारी के सम्बन्ध में न्यायिक प्राविधान	2
8	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम, प्रतिषेध एंव उपचार) अधि 2013	2
9	**बाल अधिकार संरक्षण एंव सवेंदनशीलता**	
	(क) बालकों के प्रति संवेदनशील व मित्रवत व्यवहार कैसे करें ?	1

	(ख) बाल संरक्षण से संबंधित प्रमुख अधिनियम व नियमावली -	
	(i) बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005	1
	(ii) किशोर न्याय (बालकों की देख रेख व संरक्षण) अधिनियम 2000, यथा संशोधित 2006	1
	(iii) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एंव संरक्षण) नियम 2007	1
	(iv) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख संरक्षण) अधिनियम 2015	1
	(v) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एंव संरक्षण) मॉडल नियम 2016	1
	(ग) रिट याचिका सिविल 473/2005 सम्पूर्ण बेहुरा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाँकः 09.02.2018, बाल अपराधों को रोकने एवं उनके अधिकारों के प्रति सजग करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश।	1
	(घ) "आपरेशन स्माईल" : एक केस स्टडीं	1
	योग	**24**

4. पुलिस आचरण, व्यवहार एवं संवाद कौशल

क्र0सं0	विषय	कालाँश
	(क) पुलिस आचरण	
1	पुलिस आचरण के सिद्धान्त, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता एंव पक्षपात	2
2	पुलिस मनोवृत्ति, जनोन्मुखता, सेवोन्मुखता एवं व्यवसायिकता	1
3	पुलिस छवि एंव इसे सुधारने के तरीके	1
4	सामाजिक संवेदना निर्माण (Empathy and Sympathy)	1
5	पुलिस कार्य में नैतिकता	1
6	पुलिस का जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार	1
7	बीट ड्यूटी के समय व अन्य अवसर पर नागरिक/ जनता के साथ व्यवहार।	1
8	बुद्धिजीवी, मजिस्ट्रेट, वकील एवं जेल स्टाफ के साथ व्यवहार	1
9	पत्रकारों के साथ व्यवहार	1
10	छात्रों एवं युवा वर्ग के साथ व्यवहार	1
11	गवाहों के साथ व्यवहार	1
12	अपराध पीड़ित के साथ व्यवहार	1
13	विवाद के समय व्यवहार	1
14	दुराचारी के साथ व्यवहार	1
15	पुलिस थाने पर शिकायतकर्ता के साथ व्यवहार	1
16	यातायात उल्लंघन करने वालों के साथ व्यवहार	1
17	मजदूरों के साथ, अपरिपक्व, दिव्यांग एवं असहाय व्यक्तियों के साथ व्यवहार	1
18	पुलिस का पर्यटकों से सहयोगात्मक / मधुर व्यवहार-आवश्यकता एवं महत्व।	1

19	पुलिस का महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ व्यवहार	1
20	होमगार्ड एवं ग्राम चौकीदारों के साथ व्यवहार ।	1
21	मृतकों / अज्ञात शवों के प्रति सम्मान का आचरण	1
22	पुलिस का स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों से संबंध एवं तालमेल	1
23	कम्यूनिटी पुलिसिंग (सामुदायिक पुलिसिंग): आवश्यकता, महत्व	2
24	लोक व्यवहार की कला (Art of Public Behavior)	1
(ख) संवाद एवं अन्य कौशल विकास		
1	अवलोकन कौशल (Observation Skill)	1
2	संवाद / बोलने का कौशल (Oral Communication Skill)	1
3	प्रेरणा एंव प्रेरणा कौशल (Motivation & Skill)	1
4	श्रवण कौशल (Listening Skill)	1
5	लेखन कौशल (Writing Skill) / पुलिस में व्यवहत सामान्य शब्दावली	1
6	समय प्रबन्धन (Time Management)	2
7	तनाव प्रबन्धन (Stress Management)	2
8	टीम भावना प्रबन्धन (Team Building Management)	1
	योग	**36**

नोटः - इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है, कि प्रशिक्षु आरक्षियों में सेवोन्मुखी अभिवृत्ति विकसित की जाये। प्रशिक्षण में केस स्टडीज एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया जाये। इसके लिए विशेषज्ञों के द्वारा कैप्सूल कोर्स चलाये जाने चाहिये, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता, जाति व समुदाय के विवाद व पुलिस की भूमिका, स्वास्थ्य, अपराध पीड़ित से व्यवहार, जनता से व्यवहार, एन.जी.ओ. से सम्बन्ध, जेल व न्यायालय का भ्रमण, वृद्धाश्रम भ्रमण / संवासिनी गृह भ्रमण, बाल-सुधार गृह भ्रमण, अस्पताल / मोर्चरी भ्रमण हो।

पंचम समूह – अपराध विधि – भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

कालाँश – 100 **पूर्णांक – 100**

1. भारतीय दण्ड संहिता

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	परिचय एवं परिभाषा – धारा 21, 34	2
2	साधारण अपवाद – धारा 76	1
3	प्राइवेट रक्षा का अधिकार – धारा 96 से 106	3
4	आपराधिक षड़यन्त्र – धारा 120ए, 120बी	1
5	लोक प्रशान्ति के विरूद्ध अपराध – धारा 141 से 149, 151, 153ए, 159, 160, 166	3
6	मिथ्या साक्ष्य, लोक न्याय के विरूद्ध अपराध – धारा 216, 216ए, 222, 223, 224, 228ए	3
7	लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध – धारा 268, 292 से 294	2
8	धर्म से संबंधित अपराध – धारा 295, 295ए	2
9	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध आपराधिक मानव वध, हत्या आदि – धारा 299, 300, 302, 304, 304ए, 304बी, 306, 307, 308	4
10	उपहति एवं संबंधित अपराध – धारा 323 से 326, 326ए, 326बी, 328, 330, 332, 333	4
11	सदोष परिरोध – धारा 339 से 342	2
12	आपराधिक बल एवं हमला – धारा 354, 354ए, बी, सी, डी, 356	3
13	व्यपहरण एवं अपहरण – धारा 359 से 366, 366ए	4
14	यौन अपराध – धारा 375, 376, 376ए से ई तक, 377	4
15	सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध, उद्दयापन, लूट एवं डकैती – धारा 378 से 380, 383, 384, 390 से 394, 395, 396	6
16	आपराधिक न्यासभंग- धारा 406 से 409	2
17	चोरी की सम्पत्ति- धारा 410, 411, 412	2
18	छल- धारा 419, 420	2
19	रिष्टि- धारा 435, 436	2
20	कूटकरण- धारा 489ए से 489ई तक	3
21	पति एंव उसके रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता- धारा 498, 498ए	2
22	आपराधिक अभित्रास, अपमान- धारा 504, 506	2
23	अपराध कारित करने के प्रयास- धारा 511	1
	योग	**60**

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट की सहायता – धारा 36, 37 से 40	3
2	व्यक्ति की गिरफ्तारी – धारा 41, 41ए, 41बी, 41सी, 41डी, 42, 46, 50ए, 57	4
3	सम्मन – धारा 61 से 69	3
4	वारन्ट एवं उद्घोषणायें – धारा 70, 71, 82, 83	2
5	तलाशी से संबंधित सामान्य प्रावधान – धारा 100, 102	2
6	शांति बनाये रखने हेतु प्रतिभूति – धारा 106 से 110, 116	3
7	लोक व्यवस्था का रख-रखाव – धारा 129 से 131	2
8	लोक न्यूसेन्स – धारा 144	1
9	भूमि एवं जल से संबंधित विवाद के समय प्रक्रिया – धारा 145	1
10	पुलिस द्वारा रोकथाम की कार्यवाही – धारा 149 से 151	2
11	पुलिस के लिए सूचना एवं अन्वेषण की शक्तियाँ – धारा 161, 164	2
12	पुलिस के लिए सूचना एवं अन्वेषण की शक्तियाँ – धारा 167, 173, 174, 176	3
	महत्वपूर्ण केस लॉ (गिरफ्तारी)	
	(i) शौकीन बनाम उ0प्र0 राज्य 2011 (75) एसीपी 763 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)	2
	(ii) अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2014) 8 एससीसी 273	2
	योग	**32**

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	परिचय – धारा 3	1
2	स्वीकृति एवं संस्वीकृति – धारा 17, 25, 26, 27	4
3	मृत्युकालिक कथन – धारा 32, 32(1)	2
4	स्मृति ताजा करना – धारा 159	1
	योग	**8**

षष्टम समूह – विविध अधिनियम

कालाँश – 84 पूर्णांक – 100

1. केन्द्रीय विविध अधिनियम

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	पुलिस अधिनियम 1861 महत्वपूर्ण धारायें - धारा 31, 34	3
2	पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम 1966 - धारा 3	3
3	आयुध अधिनियम 1959 महत्वपूर्ण धारायें - धारा 3, 4, 19, 20, 40	3
4	भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1984 – धारा 9 बी	3
5	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 - धारा 5	3
6	भ्रष्टाचार (निवारण) अधिनियम 1988 - धारा 7 व 13	3
7	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम 1989 - धारा 3 व 4	3
8	विद्युत अधिनियम 2003 - धारा 135, 138	3
9	दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 - धारा 2, 3, 4	3
10	स्वापक द्रव्य एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 - धारा 8, 15 से 22, 27, 50	3
11	किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एंव संरक्षण) अधिनियम 2000 महत्वपूर्ण धारायें-(विचारण सम्बन्धी) - धारा 2 (ट), 10, 63, 75	3
12	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 - धारा 2,11	2
	याचिका संख्या-एस-881 / 2014 गौरी मौरेखी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-07-2015	2
13	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 - धारा 3, 4, 13	3
14	अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 - धारा 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15	3
15	लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984 - धारा 3 व 4	3
16	मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित) - धारा 177 से 179, 181, 183 से 187, 190, 192, 194, 196,197, 200, 207	4
17	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005 (सामान्य परिचय)	2
18	लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधि० -2012 (महत्वपूर्ण धारायें) - धारा 3 से 12 तक	2
19	वन्य जीव संरक्षण अधि0 1972 - धारा 50, 51, 55	2
20	पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधि. 1922 - धारा 3	2
21	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)	2
22	दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 सम्पूर्ण	2
23	Information Technology Act (सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम-2000)	3
	योग	**65**

2. राज्य के अधिनियम

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	**उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम** 1986 – धारा 2, 3, 19	3
2	**उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970** – धारा 3, 10	4
3	**उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910** – धारा 60, 62(2) नवीनतम संशोधनों के साथ	3
4	**उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1955 –** धारा 3, 5, 5क, 8	3
5	**उ0प्र0 वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976** – धारा 4, 10	3
6	**उ0प्र0 विद्युत तार एवं ट्रांसफार्मर चोरी का निवारण तथा दण्ड अधिनियम 1976** – धारा 1, 3, 5, 6	3
	योग	**19**

सप्तम समूह – कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम

कालाँश – 50 **पूर्णांक – 100**

1. कम्प्यूटर साइंस

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय	2
2	सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	2
3	डाटा स्टोरेज उपकरण जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि	2
4	इन्टरनेट का उपयोग	1
5	**एम.एस. ऑफिस का व्यवहारिक परिचय**	
	(i) एम.एस. वर्ड	1
	(ii) एम.एस. एक्सेल	1
	(iii) एम.एस. पावर प्वाइंट	1
9	कलर पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम का परिचय एवं स्कैच बनाना	1
10	ईमेल एकाउंट बनाना, ई-मेल भेजना / प्राप्त करना / फाइल डाउनलोड करना	1
11	कम्प्यूटर एवं नेटवर्क फोरेन्सिक्स - सामान्य जानकारी	1
12	इलैक्ट्रानिक निगरानी तकनीकियाँ, आई0पी0 कैमरा, सेटेलाइट छवियाँ, जी.आई.एस. / जीपीएस, आर.एफ.आई.डी. तकनीक	2
	योग	**15**

2. साइबर क्राइम

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	कम्प्यूटर संबंधी अपराध, प्रकृति एवं प्रकार	2
2	साइबर सुरक्षा का तात्पर्य एंव सामान्य विधियाँ	1

3	इलैक्ट्रानिक साक्ष्यों का अभियोजन में महत्व एवं संकलन की विधि	2
4	उ0प्र0 पुलिस बेवसाइड का परिचय	1
5	सी0सी0टी0वी0 कैमरों के प्रकार एंव पुलिस में उपयोगिता	1
6	पब्लिक एड्रेस सिस्टम एंव ड्रोन कैमरे की जानकारी	1
7	सोशल मीडियाः-ट्विटर, वाट्सअप, मैसेंजर, फेसबुक आदि	1
8	सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलने से रोकने के उपाय	1
	योग	**10**

3. सी.सी.टी.एन.एस. एवं मोबाइप एप्स

क्र0सं0	**विषय**	**कालाँश**
1	सी0सी0टी0एन0एस0 का तात्पर्य एंव अपराध नियन्त्रण में उपयोगिता	2
2	रजिस्ट्रेशन माड्यूल (Registration Module)	2
	a. कम्पलेंट रजिस्ट्रेशन (Complaint Registration)	2
	b. मिसिंग पर्सन (Missing Person)	1
	c. मिसिंग कैटिल रजिरट्रेशन (Missing Cattle Registration)	1
	d. अनआईडैन्टिफाईड डैड बॉडी (Uniclentified Dead Body)	1
	e. अनक्लेम्ड एबानडिड प्रापर्टी (Unclaimed abandonedproperty)	1
3	जी0डी0 रजिस्ट्रेशन (GD Registration)	2
4	एफ0आई0आर0 रजिस्ट्रेशन (FIR Registration)	2
5	एन0सी0आर0 रजिस्ट्रेशन (NCR Registration)	1
6	डाटा बैंक मॉड्यूल (Data Bank Module)	1
	a. व्हीकल थैफ्ट (Vehicle Theft)	1
7	सिटीजन सर्विस माड्यूल (Citizen Services Module)	1
8	एक्सटैन्शन माड्यूल (Extension Module)	1
9	**पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज / साफ्टवेयर**	
	गुमशुदा व्यक्ति (Missing! Persons)	1
	गुमशुदा बच्चों की तलाश (Track the Missing child)	1
	लावारिस शव (Unidentified Bodies)	1
	चुराये गये वाहनों की खोज Stolen Vehicle Query (NCRB)	1
10	पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन	2
	योग	**25**

अष्टम समूह – विधि विज्ञान, विधि चिकित्सा शास्त्र, प्राथमिक उपचार

कालाँश – 50

पूर्णांक – 50

1. विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइंस)

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	अपराध के घटनास्थल को सुरक्षित रखना	1
2	भौतिक साक्ष्यों का एकत्रण, घटनास्थल से विभिन्न पदार्थों का उठाना व पैक करना	2
3	भौतिक साक्ष्य के सम्बन्ध में लोकार्डो का सिद्धान्त एंव उसका महत्व	1
4	वादों की विवेचना में विधि विज्ञान का महत्व	1
5	सूरा, एल्कोहल, टोडी, स्वापक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ	1
6	ड्रग डिटेक्शन किट से मादक पदार्थों की पहचान	1
7	जहरखुरानी के अपराधों में प्रयोग में लाई जाने वाली दवाईयाँ	1
8	डी0एन0ए0 प्रोफाइल का तात्पर्य एंव उसका महत्व।	2
	योग	**10**

2. विधि चिकित्सा शास्त्र (फोरेन्सिक मेडिसिन)

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	पुलिस के लिये विधि चिकित्साशास्त्र का परिचय, महत्व	1
2	मेडिको लीगल दृष्टि से घटनास्थल का निरीक्षण एवं विधि चिकित्सीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण	2
3	शारीरिक लक्षणों से व्यक्ति की पहचान, आयु निर्धारित करने की विधि	1
4	चोटों के प्रकार - आग्नेयास्त्र, तीव्र धारदार अथवा नुकीले हथियार, विस्फोट, दाह, द्रवदाह एवं यन्त्र द्वारा।	2
5	मृत्यु से पूर्व एवं मृत्यु के बाद आयी चोटों का ज्ञान मृत्यु के समय का निरीक्षण करना तथा मृत व्यक्तियों की पहचान।	2
6	जमीन में दबे मृतकों को निकलवाना	1
7	विधि चिकित्सकीय दृष्टिकोण से मृत्यु के प्रकार एवं लक्षण- हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, स्वाभाविक (प्राकृतिक मृत्यु)	2
8	मृत्यु के प्रकार एवं लक्षण–दम घुटने से मृत्यु, डूबकर मृत्यु, गला घोटकर मृत्यु, श्वांसावरोध (थ्रोटलिंग), फाँसी लगाकर मृत्यु (हैंगिग)।	2
9	मृत शरीर का मोरचरी तक परिवहन, शव परीक्षा व चिकित्सीय परीक्षण कराने में आरक्षी की भूमिका	2
10	शव परीक्षा-बाल, विसरा आदि के नमूनों को सुरक्षित रखना।	1
11	मेडिको लीगल रिपोर्ट।	2
12	मेडिको लीगल दृष्टि से यौन अपराधों (बलात्कार / अप्राकृतिक यौन क्रिया) इत्यादि का ज्ञान	1
	योग	**19**

3. प्राथमिक उपचार

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं लाभ तथा विभिन्न प्रकार एवं संसाधन	1
2	प्राथमिक चिकित्सा के 9 सुनहरे नियम	1
3	घायल होने, साँप काटने, महामारी फैलने एवं आपदा के समय प्राथमिक सहायता	1
4	शरीर पर आई खुली चोटों एवं हड्डी टूटने की दशा में प्राथमिक उपचार	1
5	जल में डूबने एवं फाँसी लगने पर कृत्रिम श्वांस (C.P.R.) दिया जाना	1
6	जहर खाने एवं जलने की दशा में प्राथमिक उपचार	1
7	दौरा पड़ने एवं झुलसने की दशा में प्राथमिक उपचार	1
8	हड्डी टूटने, घाव, रगड़, नीलगू घाव पर मरहम पट्टी करने का व्यवहारिक ज्ञान	1
9	घायलों को उठाने एवं स्ट्रेचर न होने की दशा में ले जाने का व्यवहारिक ज्ञान	1
10	अभ्यासिक प्रदर्शन	1
11	**दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण केस लॉ** **परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 मा0 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039)** एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अतः चिकित्सक को घायल व्यक्ति का उपचार तत्काल बिना इस बात की प्रतीक्षा किये किया जाना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई अथवा नहीं।	1
	योग	**11**

4. व्यवहारिक प्रयोग

क्र0सं0	विषय	कालाँश
1	क्राइम किट से विभिन्न प्रकार की प्राथमिक जाँचें किये जाने का व्यवहारिक ज्ञान यथा- रक्त, मादक पदार्थ / द्रव्य, फिंगर प्रिन्ट, हस्तलेख इत्यादि।	2
2	घटना स्थल से अव्यक्त अंगुल चिन्हों का उठाना एवं विकसित करना।	1
3	पदचिन्ह उठाना (कास्टिंग)।	1
4	विभिन्न प्रकार के जले एवं कटे-फटे अभिलेखों को उठाना एवं पैक करना	1
5	विभिन्न प्रकार के विषों की पहचान।	1
6	घटना स्थल से प्राप्त विभिन्न प्रदर्शों का निरीक्षण, उठाना एवं पैक करना।	1
7	घटना स्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करना।	1
8	नकली नोटों व अन्य वस्तुओं की पहचान	1
9	विभिन्न प्रकार के चिन्ह-टायर मार्क, घिसटने के निशान आदि	1
	योग	**10**

(ब) वाह्य विषय

प्रथम समूह – शारीरिक प्रशिक्षण

कालाँश – 100 पूर्णांक – 100

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णांकों का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	कालाँश	पूर्णांक
1.	शारीरिक दक्षता परीक्षा	15	30
2.	बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट	14	25
3.	क्रिकेट बॉल थ्रो	8	06
4.	दण्ड / रस्सी कूद	8	08
5.	दौड़ 400 मीटर	15	10
6.	पी0टी0 और ऑपरेट्स वर्क	40	21
	योग	**100**	**100**

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा

(पुरुषों हेतु)

कालाँश – 15 **पूर्णांक – 30**

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता परीक्षा			अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	
1	2.4 कि.मी. दौड	10 मिनट	11 मिनट	12 मिनट	06	05	04	50 %
2	10 कि.मी. क्रॉसकन्ट्री दौड	45 मिनट	55 मिनट	65 मिनट	06	05	04	50 %
3	चिन-अप	08	07	06	06	05	04	50 %
4	बैठक	40	38	35	06	05	04	50 %
5	5 मीटर शटल (1 मिनट में)	16	15	14	06	05	04	50 %

टिप्पणी:-

1. शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पोशाक-पी0टी0 ड्रेस।
2. प्रशिक्षु जो एक इवैन्ट में अनुत्तीर्ण होगा, अन्तिम परीक्षा में उस इवैन्ट में पुनः सम्मिलित होगा।
3. प्रशिक्षु जो दो इवैन्ट में अनुत्तीर्ण होगा, वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जायेगा, और अन्तिम परीक्षा में दुबारा पूरे इवैन्ट्स में सम्मिलित होगा।

(महिलाओं हेतु)

कालाँश – 15 पूर्णांक – 30

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता परीक्षा			अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	
1	2.4 कि.मी. दौड	11.30 मिनट	12.30 मिनट	12 मिनट	06	05	04	50 %
2	100 मीटर तीव्र दौड	16 सेकेण्ड	18 सेकेण्ड	19 सेकेण्ड	06	05	04	50 %
3	बीम हैंगिंग	06	05	04	06	05	04	50 %
4	बैठक	35	30	25	06	05	04	50 %
5	5 मीटर शटल (1 मिनट में)	14	13	12	06	05	04	50 %

टिप्पणी:-

1. शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पोशाक-पी0टी0 ड्रेस।
2. महिला प्रशिक्षु जो एक इवैन्ट में अनुत्तीर्ण होगी, अन्तिम परीक्षा में उस इवैन्ट में पुनः सम्मिलित होगी।
3. महिला प्रशिक्षु जो दो इवैन्ट में अनुत्तीर्ण होगी, वह शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण मानी जायेगी, और अन्तिम परीक्षा में दुबारा पूरे इवैन्ट्स में सम्मिलित होगी।

2. बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट

पुरुषों हेतु समय (BPAT)

कालाँश – 14 **पूर्णांक – 25**

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता परीक्षा			अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	
1	5 कि.मी. दौड	25 मिनट	27 मिनट	28 मिनट	08	06	04	50 %
2	60 मीटर तीव्र दौड	9 सेकेण्ड	10 सेकेण्ड	11 सेकेण्ड	08	06	04	50 %
3	9 फीट गड्ढा (मय 2.5 फीट पानी)	पूर्णतः पार करना			4 अंक			उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण
4	समानान्तर रस्सा	पूर्णतः पार करना			3 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	पूर्णतः पार करना			2 अंक			तदैव

नोटः-

प्रशिक्षु को बी.पी.ए.टी. के सभी इवैन्ट्स पास करने हैं, यदि एक इवैन्ट में भी अनुत्तीर्ण होता है तो अन्तिम परीक्षा में उसे बी.पी.ए.टी. के सभी इवैन्ट्स में पुनः सम्मिलित होना होगा।

महिलाओं हेतु समय (BPAT)

कालाँश – 14 पूर्णांक – 25

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता परीक्षा			अंक			उत्तीर्ण
		उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	उत्कृष्ट	अच्छा	संतोष जनक	
1	5 कि.मी. दौड	28.30 मिनट	30.30 मिनट	31.30 मिनट	08	06	04	50 %
2	60 मीटर तीव्र दौड	11 सेकेण्ड	12 सेकेण्ड	13 सेकेण्ड	08	06	04	50 %
3	6 फीट गड्ढा (पानी सहित)	पूर्णतः पार करना			4 अंक			उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण
4	समानान्तर रस्सा	पूर्णतः पार करना			3 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	पूर्णतः पार करना			2 अंक			तदैव

नोटः-

महिला प्रशिक्षु को बी.पी.ए.टी. के सभी इवैन्ट्स पास करने हैं, यदि एक इवैन्ट में भी अनुत्तीर्ण होती है तो अन्तिम परीक्षा में उसे बी.पी.ए.टी. के सभी इवैन्ट्स में पुनः सम्मिलित होना होगा।

3. क्रिकेट बॉल थ्रो

कालाँश – 8 **पूर्णांक – 06**

पुरुष			महिला		
क्र.सं.	दूरी	अंक	क्र.सं.	दूरी	अंक
1	60 मीटर थ्रो	6	1	30 मीटर थ्रो	6
2	50 मीटर थ्रो	5	2	25 मीटर थ्रो	5
3	40 मीटर थ्रो	4	3	20 मीटर थ्रो	4
4	35 मीटर थ्रो	3	4	15 मीटर थ्रो	3
5	30 मीटर थ्रो	2	5	10 मीटर थ्रो	2

4. दण्ड (पुरुष) / रस्सी कूद (महिला)

कालाँश – 8 **पूर्णांक – 08**

दण्ड (पुरुष)			रस्सी कूद (महिला)		
क्र.सं.	विषय	अंक	क्र.सं.	विषय	अंक
1	01 मिनट में 30 दण्ड	8	1	01 मिनट में 100 जम्प	8
2	01 मिनट में 25 दण्ड	6	2	01 मिनट में 90 जम्प	6
3	01 मिनट में 20 दण्ड	4	3	01 मिनट में 80 जम्प	4
4	01 मिनट में 15 दण्ड	2	4	01 मिनट में 70 जम्प	2
5	01 मिनट में 10 दण्ड	1	5	01 मिनट में 50 जम्प	1

5. दौड 400 मीटर

कालाँश – 15 **पूर्णांक – 10**

पुरूष 400 मीटर			महिला 400 मीटर		
क्र.सं.	विषय	अंक	क्र.सं.	विषय	अंक
1	01.05 मिनट तक	10	1	01.15 मिनट तक	10
2	01.06 से अधिक समय से 01.10 मिनट तक	08	2	01.16 से अधिक समय से 01.20 मिनट तक	08
3	01.11 से अधिक समय से 01.15 मिनट तक	06	3	01.21 से अधिक समय से 01.25 मिनट तक	06
4	01.16 से अधिक समय से 01.20 मिनट तक	04	4	01.26 से अधिक समय से 01.30 मिनट तक	04
5	01.21 से अधिक समय से 01.25 मिनट तक	03	5	01.31 से अधिक समय से 01.35 मिनट तक	03
6	01.26 से अधिक समय से 01.30 मिनट तक	02	6	01.36 से अधिक समय से 01.40 मिनट तक	02
7	01.31 से अधिक समय से 01.35 मिनट तक	01	7	01.41 से अधिक समय से 01.45 मिनट तक	01

6. पी.टी. और ऑपरेट्स वर्क

कालाँश – 40 **पूर्णांक – 21**

पुरूष			महिला		
क्र.सं.	विषय	अंक	क्र.सं.	विषय	अंक
1	पी0टी0 एक्सरसाइज	3	1	पी0टी0 एक्सरसाइज	3
2	कमाण्ड लीडर शिप	3	2	कमाण्ड लीडर शिप	3
3	सामने लुढ़क	5	3	सामने लुढ़क	5
4	पीछे लुढ़क	5	4	पीछे लुढ़क	5
5	रस्सा	5	5	रस्सा	5
	योग	**21**		**योग**	**21**

रस्सा चढ़ने के आधार पर अंको का वर्गीकरण

क्र.सं.	विवरण	पुरुष-अंक	महिला-अंक
1	प्रथम श्रेणी चढ़ने पर	5	-
2	द्वितीय श्रेणी चढ़ने पर	4	-
3	तृतीय श्रेणी चढ़ने पर	3	5

नोटः-

1. वालवार्स एवं लकड़ी के घोड़े का प्रशिक्षण दिया जायेगा, किन्तु इसकी परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।
2. महिला प्रशिक्षुओं के लिए तृतीय श्रेणी का रस्सा निर्धारित है। पूर्ण रूप से चढने पर पूरे अंक दिये जायेगें।

द्वितीय समूह – पदाति प्रशिक्षण (Infantry Training)

कालाँश – 100 **पूर्णांक – 75**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णांकों का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	कालाँश	पूर्णांक
1.	टर्न आउट	-	06
2.	स्क्वाड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशिप (शस्त्र रहित)	35	20
3.	शस्त्र ड्रिल / रायफल एक्सरसाइज	35	20
4.	रैतिक ड्रिल एवं सम्मान गार्द	10	06
5.	गार्द माउंटिंग	06	06
6.	क्रेन ड्रिल	04	04
7.	हर्ष फायर एवं शोक कवायद	04	07
8.	ई0ओ0डी0	06	06
	योग	**100**	**75**

1. टर्न आउट

टर्न आउट हेतु कोई अलग से कालांश नहीं दिया गया है यह प्रशिक्षण के समय ही प्रशिक्षक द्वारा बताया जाता है। अन्तिम परीक्षा में इसके 06 अंक होंगे।

2. स्क्वाड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशिप (शस्त्र रहित)

कालांश – 35 **पूर्णांक - 20**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	सावधान-विश्राम, आराम से	2
2	मुड़ना, आधा मुड़ना	2
3	सजना	1
4	तीन लाइन में फालइन होना	1
5	गिनती करना	1
6	खुली लाइन, निकट लाइन	1
7	खड़े-खड़े मुड़ना	1
8	विसर्जन, बाहर निकलना, साइजिंग	1
9	परेड पर फाल-इन होना, कदम की दूरी, समय	1
10	स्क्वाड में अन्तर से फाल-इन होना	1

11	तेज चाल में मार्च करना व रूकना	1
12	कदम आगे, कदम पीछे तथा कदम साइड में चलना	1
13	धीरी चाल में चलना व थम	1
14	घूमना, मुड़ना धीरी चाल में	1
15	धीरी चाल में कदम ताल व थम	1
16	तेज चाल व दौड़ चाल में कदम ताल व थम	1
17	तेज चाल व धीरी चाल में कदम बदलना	1
18	दौड़ चाल में चलना, कदम ताल व रूकना	1
19	धीरी चाल, तेज चाल और दौड़ चाल में आना	1
20	धीरी चाल में लाइन में मार्च करना, घूमना	1
21	थम कर दिशा बदलना, चलते चलते दिशा बदलना (धीरी चाल में)	1
22	थम कर दिशा बदलना चलते चलते दिशा बदलना (तेज चाल में)	1
23	थम कर स्क्वाड बनाना, चलते चलते स्क्वाड बनाना (धीरी चाल में)	1
24	चलते हुए तेज चाल में स्क्वाड बनाना	1
25	सिंगल फाइल में मार्च करना व तीन लाइन बनाना	1
26	तीन लाइन से दो लाइन बनाना	1
27	दो लाइन से तीन लाइन बनाना	1
28	धीरी चाल में मार्च करना व मुड़ना	1
29	तेज चाल में चलना व मुड़ना	1
30	तेज चाल में घूमना व मुड़ना	1
31	थम कर सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट	1
32	दाहिने व बांए का सेल्यूट	1
33	दाहिने देख, बांए देख बिना टोपी व सादे वस्त्र में	1
	योग	**35**

3. शस्त्र ड्रिल / रायफल एक्सरसाइज

कालांश – 35 **पूर्णांक - 20**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	बाजू शस्त्र से बगल शस्त्र, बगल शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
2	बगल शस्त्र से सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र से बगल शस्त्र	1
3	भूमि शस्त्र, उठा शस्त्र	1
4	बाजू शस्त्र से बायें शस्त्र, बाएं शस्त्र से बाजू शस्त्र, बगल शस्त्र से बाएं शस्त्र, बाएं शस्त्र से बगल शस्त्र	1

5	निरीक्षण को बाएं शस्त्र, बोल्ट चला	1
6	बाएं शस्त्र से जांच शस्त्र, जांच शस्त्र से बाएं शस्त्र, जांच शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
7	बाजू शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
8	तौल शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से तौल शस्त्र	1
9	बाजू शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
10	सम्भाल शस्त्र से बदल शस्त्र	1
11	सिलिंग कसना व सिलिंग ढीली करना	1
12	बाजू शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
13	बाजू शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
14	तान शस्त्र से बाजू शस्त्र तथा बाजू शस्त्र से ऊंचा बांये शस्त्र	1
15	लटका शस्त्र, बगल शस्त्र	1
16	सावधान, विश्राम, आराम से, रायफल के साथ	1
17	मुड़ना व आधा मुड़ना रायफल के साथ	1
18	बाजू शस्त्र व बगल शस्त्र की दशा में सजना	1
19	सजना, बायें सज, दाहिने सज, मध्य सज	1
20	खड़े हुए सेल्यूट, सामने का सेल्यूट, चलते चलते सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट	1
21	रायफल के साथ चलते हुए दाहिने व बाँए का सेल्यूट	1
22	रायफल के साथ तेज चाल में मार्च	1
23	रायफल के साथ धीरी चाल में मार्च	
24	धीरी चाल व तेज चाल में मुड़ना	1
25	रायफल के साथ मार्चिंग, धीरी चाल व तेज चाल में थम बनाना	1
26	धीरी चाल व तेज चाल में रायफल के साथ मुड़ना व घूमना	1
27	रायफल के साथ धीरी चाल व तेज चाल मार्च में छोटे व लम्बे कदम से मार्च करना	1
28	स्वास्थान, लाइन तोड़, लाइन बन	1
29	थम कर दिशा बदलना (धीरी चाल व तेज चाल में)	1
30	थम कर स्क्वाड बनाना (धीरी चाल व तेज चाल में)	1
31	धीरी चाल, तेज चाल व दौड़ चाल में खुलना	1
32	रायफल के साथ सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट व दाहिने बायें का सेल्यूट	1
33	शस्त्र के साथ तेज चाल में लम्बा कदम, छोटा कदम	1
34	स्क्वाड का मार्च करना, सिंगल फाइल बनाना व तीनों तीन बनाना	1
35	लाइन फारमेशन से फाइल में रायफल सहित खुलना तीनों तीन बनाना व लाइन फारमेशनबनाना	1
36	तीनों तीन से फाइल में रायफल के साथ खुलना, तीनों तीन बनाना व लाइन बनाना	1
	योग	**35**

नोटः- मूल उद्देश्य प्रशिक्षुओं में उचित प्रतिष्ठा, अनुशासन और साइको मोटर कुशलता विकसित करना है।

4. रैतिक ड्रिल एवं सम्मान गार्द

कालांश – 10 **पूर्णांक - 06**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	रैतिक परेड व सम्मान गार्द का ज्ञान व कमाण्ड करने का अभ्यास	10
	योग	**10**

5. गार्द माउंटिंग

कालांश – 06 **पूर्णांक - 06**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	गार्द माउंटिंग	1
2	क्वार्टर गार्ड की कार्य पद्धति	
3	गार्ड ऑफ ऑनर	1
4	स्क्वाड ड्रिल और कमाण्ड	1
5	कॉय ड्रिल और प्लाटून ड्रिल	3
	योग	**06**

6. क्रेन ड्रिल

कालांश – 04 **पूर्णांक - 04**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	केन ड्रिल	04
	योग	**04**

7. हर्ष फायर एवं शोक कवायद

कालांश – 04 **पूर्णांक - 07**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	सलामी शस्त्र से उल्टा शस्त्र, उल्टा शस्त्र से सलामी शस्त्र, उल्टा शस्त्र से बगल शस्त्र	1
2	सलामी शस्त्र से शोक शस्त्र , शोक शस्त्र से सलामी शस्त्र, शोक शस्त्र से उल्टा शस्त्र और उल्टा शस्त्र से शोक शस्त्र	2
3	उल्टा शस्त्र से तोल शस्त्र और तौल शस्त्र से उल्टा शस्त्र, तौल शस्त्र से बगल शस्त्र	1
	योग	**04**

8. ई0ओ0डी0

कालांश – 06 पूर्णांक - 06

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	ई0ओ0डी0	06
	योग	**06**

तृतीय समूह – शस्त्र प्रशिक्षण (रात्रि फायरिंग सहित)

कालाँश – 65 पूर्णांक – 65

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालाँश	पूर्णांक
1.	शस्त्र प्रशिक्षण सिद्धान्त	35	25
2.	शस्त्र फायरिंग	30	40
	योग	**65**	**65**

1. शस्त्र प्रशिक्षण सिद्धान्त

कालांश – 35 पूर्णांक - 25

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	5.56 एम.एम. इन्सास	4	4
2	7.62 एम.एम. एस.एल.आर.	4	4
3	9 एम.एम. कार्बाइन	4	3
4	एके-47	4	2
5	9 एम.एम. पिस्टल	4	3
	.38 रिवाल्वर		
6	जी.एफ. रायफल	3	2
7	आई.ई.डी. बूबी ट्रैप्स व एक्सप्लोसिव का ज्ञान एवं सावधानियां पहचान तथा निष्क्रिय करना	3	3
8	पी.एम.एफ. एवं वी.एल.पी.	2	1
9	36 एच.ई. ग्रिनेड	2	1
10	ग्लॉक पिस्टल, एम.पी. 5 (डेमो)	3	1
11	देसी असलहों का ज्ञान (डेमो)	2	1
	योग	**35**	**25**

2. शस्त्र फायरिंग

कालांश – 30 पूर्णांक - 40

क्र.सं.	शस्त्र	संख्या एम्युनेशन	पूर्णांक
1	5.56 एम.एम. इन्सास रायफल (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन)	10 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	10
2	7.62 एम.एम. एस.एल.आर. (ग्रुपिंग एप्लीकेशन)	10 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	10
3	9 एम.एम. कार्बाइन / कंधे से शिस्त लेकर, बेटल क्राउच)	10 राउण्ड प्रति प्रशिक्षु	10
4	रबर बुलेट फायरिंग	01 रबर बुलेट प्रति प्रशिक्षु	05
5	डमी ग्रिनेड थ्रो	01 थ्रो (डमी ग्रिनेड से)	05
		योग	**40**

शस्त्र प्रशिक्षण सिद्धान्त एवं विभिन्न शस्त्रों से फायरिंग की विषय वस्तु

5.56 एम.एम. इन्सास

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार
2	खोलना, पुर्जों के नाम, जोड़ना
3	शिस्त लगाना
4	सफाई व रख रखाव
5	भरना व खाली करना
6	लेटकर पोजीशन लेना व शस्त्र पकड़ना
7	शिस्त लेना प्रथम – दूरी व फिगर टारगेट
8	ट्रिगर नियन्त्रण
9	फायरिंग पोजीशन व एक गोली फायर करना
10	शिस्त लेना द्वितीय- साइट बदलना
11	बोल्ट चलाना

7.62 एम.एम. एस.एल.आर.

क्र.सं.	विषय
1	परिचय
2	खोलना, पुर्जों के नाम, जोड़ना
3	सफाई व रख रखाव
4	भरना व खाली करना, पकड़ना, शिस्त लेना, साइट निर्धारण – ले जाने की दशाएं
5	एक गोली फायर करना, रूकावटें व तुरन्त कार्यवाही
6	साइट परिवर्तन, शिस्त का बिन्दु, चलते टारगेट पर शिस्त, हवा का प्रभाव

9 एम.एम. कार्बाइन

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, खोलना व जोड़ना
2	कार्बाइन व स्टेन में अन्तर
3	सफाई व रख रखाव
4	भरना व खाली करना
5	ले जाने की दशाएं, शिस्त लेना – फायर पोजीशन
6	रूकवटें व तुरन्त कार्यवाही

ए.के. - 47

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, खोलना व जोड़ना
2	भरना व खाली करना, फायरिंग पोजीशन, ले जाने की दशाएं, फायरिंग
3	रूकावटें व तुरन्त कार्यवाही

9 एम.एम. पिस्टल / ग्लाक पिस्टल

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, पिस्टल का निरीक्षण, सुरक्षा एहतियाती उपाय, खोलना, जोड़ना
2	भरना, खाली करना, फायरिंग पोजीशन, ले जाने की दशाएं
3	मेकसेफ की कार्यवाही, एक गोली फायर करना
4	रूकावटें एवं त्वरित कार्यवाही

.38" रिवाल्वर

क्र.सं.	विषय
1	परिचय, रिवाल्वर का निरीक्षण, रिवाल्वर निकालना एवं वापस रखना
2	देखभाल एवं सफाई करना, भरना एवं खाली करना
3	फायरिंग पोजीशन में फायरिंग करना

चतुर्थ समूह – जंगल प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स (रात्रि प्रशिक्षण सहित)

कालाँश – 65 **पूर्णांक - 75**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालाँश			अंक
		व्याख्यान	प्रदर्शन	योग	
1	भूमि के प्रकार एवं भूमि का वर्णन	2	-	2	03
2	आड़ों के प्रकार	2	-	2	02
3	देखभाल के तरीके	2	2	4	02
4	दूरी निर्धारित करने / अनुमान लगाने के तरीके	2	3	5	03
5	चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं	2	-	2	02
6	फील्ड संकेत	2	-	2	03
7	सेक्सन संरचना	2	2	4	03
8	विभिन्न टारगेटों की पहचान व समझ	2	-	2	03
9	सैण्ड मॉडल पर ब्रीफिंग या निर्देश	3	-	3	06
10	कैम्प स्थापित करना	2	-	2	03
11	घात एवं प्रतिघात	2	2	4	05
12	काम्बिग अभियान	3	2	5	05
13	आड़ एवं फायर	2	-	2	03
14	निगरानी	2	-	2	03
15	नक्सलवादियों द्वारा अपनाई गयी टैक्टिक्स की जानकारी एवं प्रति उपाय करना	2	-	2	06
16	कार्डन एवं खोज निकालना / ढूंढना	4	-	4	05
17	रोड ब्लॉक एवं वाहनों व व्यक्तियों को चैक करना (व्यवहारिक अभ्यास)	3	2	5	06
18	कमरा / मकान में घुसना / हस्तक्षेप	2	2	4	05
19	मैप रीडिंग एवं जीपीएस के प्रयोग सहित नेवीगेशन	3	2	5	05
20	रात्रि संतरी के कर्तव्य व प्रदर्शन	2	2	4	02
	योग	**46**	**19**	**65**	**75**

नोटः-

1. मैप रीडिंग की सिखलाई सैन्ड मॉडल से करायी जाये।
2. जो प्रशिक्षण संस्थान जंगल की सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ है, उनके द्वारा यह प्रशिक्षण संस्थान के अन्दर ही दिया जायेगा।

रूट मार्च
नाइट विजन उपकरणों का परिचय एवं परिसर में रात्रि मार्च (प्रत्येक माह में)
05 किमी0 (रायफल सहित, देखभाल कौशल का परीक्षण, छद्म व छुपाव – प्रदर्शन)
06 किमी0 (रायफल सहित, दूरी के अनुमान व आगे बढ़ने विषयक फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स के अभ्यास सहित)
07 किमी0 (रायफल सहित, दूरी के अनुमान एवं स्मृति के आधार पर खाका बनाने का अभ्यास (रात्रि फायरिंग)
08 किमी0 (रायफल सहित, फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास, रात्रि सड़क मार्च व पैट्रोलिंग)
09 किमी0 (रायफल एवं फील्डक्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास सहित - सेक्शन चांस इंकाउटर व कोम्बिंग)
10 किमी0 रायफल के साथ-साथ फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एवं युद्ध संचारण अभ्यास (बैटिल इनाक्यूलेशन एक्सरसाइज) सहित

पंचम समूह – भीड़ नियन्त्रण

कालाँश – 30 **पूर्णांक – 50**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1.	लाठी ड्रिल	10	15
2.	अश्रु गैस	10	15
3.	दंगा नियन्त्रण	10	20
	योग	**30**	**50**

1. लाठी ड्रिल

कालांश – 10 **पूर्णांक - 15**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	छोटी लाठी- वर्णन- सावधान, विश्राम एवं आराम से	1
2	मुड़ना एवं लाठी सहित थमने पर सजना	1
3	लाठी के साथ मार्च	1
4	थमने पर सेल्यूट- प्रस्थान का एवं पत्रिका के साथ (सूचना) सेल्यूट करना	1
5	लाठी के साथ सेल्यूट- थम कर स्क्वाड का विसर्जन	2
6	थमकर एवं धीमी व तेज चाल में दिशा बदलना और स्क्वाड बनाना	1
7	मार्च करना-सामने का एवं पत्रिका के साथ (सूचना) सेल्यूट- दाहिने व बायें का सेल्यूट	1
8	लाठी क्लास का खुलना - 1 से 4 अभ्यास एवं निकट आना	1
9	भीड़ नियन्त्रण हेतु लाठी का प्रयोग एंव सावधानियाँ	1
	योग	**10**

2. अश्रु गैस

कालांश – 10 पूर्णांक - 15

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, विशेषतायें, मुनिशन व रेस्पिरेटर के प्रकार	2
2	ग्रिनेड व शैलों के प्रकार, अश्रु गैस का प्रभाव	2
3	रायफल ड्रिल	1
4	ग्रिनेड फेंकने का ड्रिल एंव आवश्यक सावधानियॉ	1
5	मुनीशन का फेंकना व फायर करना	2
6	रेस्पिरेटर का प्रयोग व गैस ड्रिल	2
	योग	**10**

नोटः- रिक्रूट आरक्षियों से अश्रु गैस ग्रेनेड फेकने का अभ्यास कराया जाये।

3. दंगा नियन्त्रण

कालांश – 20 **पूर्णांक - 20**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	दंगे का परिचय, वाटरकैनन, प्लास्टिक छर्रों, रबर बुलेट आदि कम घातक उपायों का प्रयोग। दंगा नियन्त्रण ड्रिल सम्बन्धी व्याख्यान एवं प्रदर्शन	2
2	नियन्त्रण पार्टियों की तैयारी व संरचनायें (फॉरमेसेन्स) तथा विभिन्न संरचनाओं का प्रयोग	2
3	कार्यवाही - बायें, दाहिने, पीछे एवं चौतरफा	2
4	दंगा नियन्त्रण ड्रिल का अभ्यास	2
5	वाहन में चढ़ने व उतरने की ड्रिल	1
6	अनुरूपण (सिम्युलेशन)	1
	योग	**10**

षष्टम समूह – अन आर्म्ड काम्बैट (यू.ए.सी.)

कालाँश – 25 **पूर्णांक - 30**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1.	खाली हाथ दुश्मन से प्रतिरक्षा	10	10
2.	सशस्त्र दुश्मन से प्रतिरक्षा	10	10
3.	खाली हाथ दुश्मन पर आक्रमण	05	10
	योग	**25**	**30**

1. खाली हाथ दुश्मन से प्रतिरक्षा

कालांश – 10 पूर्णांक - 10

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	कलाई की पकड़ से प्रतिरक्षा	1
2	लेटे हुए प्रतिरक्षा करना	1
3	बालों की पकड़ से प्रतिरक्षा	1
4	गले की पकड़ से प्रतिरक्षा	1
5	कालर और कन्धों की पकड़ से प्रतिरक्षा	1
6	पीछे की पकड़ से प्रतिरक्षा	1
7	पैरों की किक से प्रतिरक्षा	1
8	मुक्के के हमले से प्रतिरक्षा	1
9	कुश्ती की तरह पकड़ से प्रतिरक्षा	2
	योग	**10**

2. सशस्त्र दुश्मन से प्रतिरक्षा

कालांश – 10 पूर्णांक - 10

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	स्टिक द्वारा हमले से प्रतिरक्षा	3
2	चाकू द्वारा हमले से प्रतिरक्षा	2
3	रिवाल्वर द्वारा हमलों से प्रतिरक्षा	2
4	रायफल द्वारा हमलों से प्रतिरक्षा	3
	योग	**10**

3. खाली हाथ दुश्मन पर आक्रमण

कालांश – 05 पूर्णांक - 10

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	हाथ मिलाने वाला आक्रमण	1
2	आक्रमण करके प्रतिद्वंदी से प्रतिरक्षा	2
3	आक्रमण करके फाँस लगाना	2
	योग	**05**

सप्तम समूह – योगासन

कालाँश – 25 पूर्णांक - 35

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	सूर्य नमस्कार	05	10
2	आयुष विभाग द्वारा निर्धारित योग क्रियाएं	20	25
	योग	**25**	**35**

अष्टम समूह – यातायात नियंत्रण

कालाँश – 30 **पूर्णांक - 40**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	यातायात संकेत ड्रिल व चौराहों पर यातायात को नियन्त्रित करना	8	10
2	श्वांस विश्लेषक का प्रयोग	4	3
3	स्पीड रडार / गन का प्रयोग	4	7
4	यातायात साज-सज्जा एवं सड़क सुरक्षा उपकरणों का परिचय	4	5
5	अग्निशमन एवं बचाव कार्य	5	5
6	एम.टी. थ्योरी	5	10
	योग	**30**	**40**

नवम समूह – आतंकवाद व डकैती निरोधक प्रशिक्षण एवं वन मिनट ड्रिल

कालाँश – 100 **पूर्णांक - 85**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1.	आतंकवाद निरोधक अभियान का प्रशिक्षण	60	45
2.	डकैती विरोधी अभियान का प्रशिक्षण	20	20
3.	वन मिनट ड्रिल	20	20
	योग	**100**	**85**

1. आतंकवाद निरोधक अभियान का प्रशिक्षण

कालांश – 60 **पूर्णांक - 45**

इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा आतंकवाद के बढ़ते हुए भय तथा वर्तमान आतंकी समूहों की स्थिति से अवगत कराया जायेगा। स्कूलों, शॉपिंग सेन्टरों, धार्मिक स्थलों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों आदि पर होने वाले आतंकी हमलों के सम्बन्ध में प्रशिक्षु आरक्षी को सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. डकैती विरोधी अभियान का प्रशिक्षण

कालांश – 20 पूर्णांक - 20

डकैटी विरोधी अभियान का प्रशिक्षण यथासंभव संस्था के अंदर अथवा आस-पास स्थित भौगौलिक दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थान पर विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के डकैती प्रभावित क्षेत्रों व वर्तमान गिरोहों से प्रशिक्षु आरक्षी को अवगत कराया जायेगा।

3. वन मिनट ड्रिल

कालांश – 20 पूर्णांक - 20

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	पी.टी. ड्रेस बदलकर यूनीफार्म पहनना	2	2
2	एक पैर पर खड़े होकर जूते बांधना	2	2
3	भूतल से प्रथम तल पर मेडिसिन बॉल पहुँचना	2	2
4	शस्त्रागार से सुरक्षित ढंग से शस्त्र निकालना व रखना	2	2
5	गाड़ी की चैकिंग करना	2	2
6	चीजों को याद रखना	2	2
7	तत्काल गाढ़ाबन्दी करना	2	2
8	बिना आवाज के सूचना पहुँचाना	2	2
9	अँधेरे में मैगजीन भरना	2	2
10	अँधेरे में हेवरसेक पैक करना	2	2
	योग	**20**	**20**

दशम समूह – विशिष्ट तलाशी अभियान (Special Search Operation)

कालाँश – 30 **पूर्णांक - 45**

विभिन्न विषयों में कालाँशों तथा पूर्णाकों का विभाजन

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	आवासीय भवन की तलाशी	5	7
2	कार्यालयों / गोदामों की तलाशी	5	7
3	गाँव को कार्डन करना एवं तलाशी	5	7
4	शहरी क्षेत्र में कार्डन / तलाशी	5	7
5	वाहन को रोकना एवं तलाशी	5	7
6	सड़क की छान-बीन एवं सड़क को यातायात के लिए चालू करना	5	10
	योग	**30**	**45**

36. व्यावहारिक प्रशिक्षण

आरक्षी नागरिक पुलिस व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना

आधारभूत प्रशिक्षण बैच के प्रशिक्षु 06 माह का आधारभूत कोर्स करने के बाद नियुक्त जनपदों में 06 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जनपद के प्रभारी इनका 06 का व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्गत करेंगे। जनपद में आगमन करने वाले प्रशिक्षुओं को उपयुक्त संख्या में अलग-अलग थाने में भेज दिया जाये। जनपद स्तर पर आयोजित अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जनपद प्रभारी द्वारा थाना प्रभारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाये। उसी 06 माह के व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान जनपद में उपस्थित प्रशिक्षुओं का 07 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर उन्हें छोट-छोटे बैच में जनपदीय मुख्यालय बुलाकर पुलिस कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, न्यायालय, अभियोजन कार्यालय, कन्ट्रोलरूम तथा कारागार का भ्रमण कराया जाय। भ्रमण के पश्चात शेष प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जाय। इसमें इस चरण में प्रशिक्षु निम्न कार्य सीखेगें-

क्र0सं0	विषय वस्तु
1	सन्तरी के कार्य एवं कर्तव्य (पुलिस रेग्युलेशन के अनुसार सन्तरी ड्यूटी होमगार्ड को नहीं दी जा सकती है।)
2	टेलीफोन एवं वायरलैस ड्यूटी
3	आगन्तुकों/महिलाओं/बच्चों के साथ शिष्ट वं शालीन व्यवहार
4	रफ्तारी/तलाशी का प्रपत्र (फर्द) तैयार करना
5	गिरफ्तारी की सूचना का प्रपत्र तैयार करना व जी0डी0 में प्रविष्टि करना
6	थाने पर आने वालो घायलो/पींड़ितो/अभियुक्तों की डाक्टरी कराना
7	न्यायालय मे पैरवी करना
8	वीआईपी/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का ज्ञान
9	अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही करना
10	शैडो, गनर, पी0एस0ओ0 ड्यूटी का प्रशिक्षण
11	प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करना
12	पोस्टमार्टम ड्यूटी करना
13	हाट बाजार/मेला/त्यौहार से संबंधित शांति व्यवस्था ड्यूटी करना
14	जी0डी0 में आमद व रवानगी करना
15	जी0डी0 में अन्य प्रविष्टियां करना
16	थाने के अभिलेखों में प्रविष्टि अंकित किया जाना
17	मुल्जिम ड्यूटी के दौरान ध्यान देने योग्य बातों की जानकारी
18	सम्मन/वारंट की तामील

19	रोड गश्त/नगर क्षेत्र गश्त/देहात गश्त/नाकाबन्दी/गाढ़ाबन्दी की ड्यूटी का प्रशिक्षण
20	यातायात नियंत्रण ड्यूटी का प्रशिक्षण
21	शस्त्रों की सफाई व रखरखाव का प्रशिक्षण
22	आपराधिक घटनास्थल की सुरक्षा एवं प्रदर्शों को सील किए जाने संबंधी प्रशिक्षण
23	बीट बुक तैयार करना/बीट का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करना
24	बीट में क्षेत्र के लोगों से जनसम्पर्क
25	बीट सूचना का जी0डी0 व बीट सूचना रजिस्टर में अंकन करना
26	दुराचारी/सक्रिय अपराधी/मफरूर की निगरानी
27	आपराधिक सूचनाओं के एकत्रीकरण की ज्ञान
28	तैराकी प्रशिक्षण
29	मोटर साइकिल प्रशिक्षण

नोटः- 06 माह के व्यवहारिक प्रशिक्षण में कुल 50 अंको की मूल्यांकन परीक्षा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाए।

(i) इसमें 25 अंक का मूल्यांकन निर्धारित विषयों की सिखलाई के आधार पर एवं 50 अंक का मूल्यांकन साक्षात्कार के आधार पर जनपदीय पुलिस प्रमुख द्वारा दिये जायेगे।

(ii) 30 अंक ऋणात्मक दिये जायेगे, जिसमें अनुशासनहीनता, कदाचारित एवं अन्य आपराधिक मामलो में संलिप्तता पर होगा।

(iii) व्यवहारिक प्रशिक्षण की मूल्यांकन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12/12/2022

(डॉ0 देवेन्द्र सिंह चौहान)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि - पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को 02 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वे कृपया सर्व सम्बन्धित अधिकारियों/ कार्यालयों को इसकी प्रतियाँ अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

13.9.22